कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

Business Responsibility & Sustainability Report

अनुबंध II

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग प्रारूप

खंड ए इकाई का व्यापक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके उत्पाद और पेशकश, परिचालनात्मक पदचिह्न, संबंधित पक्ष, कर्मचारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल और पारदर्शिता शामिल हैं।

खंड बी इकाई से संबंधित प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण का विवरण देता हैं , एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए कार्यान्वित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

खंड सी में इकाई संस्थाओं को सिद्धांतों और मूल तत्वों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों में एकीकृत करने में अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जानकारी को एनजीआरबीसी के नौ सिद्धांतों पर मैप किया गया है और इसे "आवश्यक" और "नेतृत्व" संकेतकों में वर्गीकृत किया गया है।

खंड एः सामान्य प्रकटीकरण

I. <u>सूचीबद्ध इकाई का विवरण</u>

1. **सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। बैंक कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नहीं है और इसलिए सीआईएन की आवश्यकता के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। बैंक के पास एक सीआईएन–'पीयूएनबी' है जो एमसीए पोर्टल पर आईईपीएफ फॉर्म दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए है।
2. **सूचीबद्ध इकाई का नाम** पंजाब नैशनल बैंक हैं
3. **स्थापना का वर्षः** बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं अंतरण अधिनियम), 1970 के अंतर्गत 1895 में गठित हुई एवं 1970 में राष्ट्रीयकृत हुई।
4. **पंजीकृत कार्यालय का पता** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली
5. **कॉर्पोरेट पता** पंजाब नैशनल बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर –10, द्वारका, नई दिल्ली
6. **ई–मेलः** care@pnb.co.in
7. **टेलीफोनः** 011–28044436
8. **वेबसाइटः** www.pnbindia.in
9. **वित्तीय वर्ष जिसकी रिपोर्टिंग की जा रही हैः** वित्त वर्ष 2024–25
10. **स्टॉक एक्सचेंज(ओं) का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैंः** बी.एस.ई. लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
11. **प्रदत्त पूंजीः** ₹2298.59 करोड़

Annexure II

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING FORMAT

SECTION A offers a comprehensive overview of the entity, including its products and offerings, operational footprint, related parties, employees, Corporate Social Responsibility initiatives and transparency.

SECTION B details management and process disclosures related to the entity, highlighting the structures, policies, and processes implemented to adopt the NGRBC Principles and Core Elements.

SECTION C is designed to assist entities in demonstrating their performance in integrating the Principles and Core elements into key processes and decisions. The information is mapped to nine principles of NGRBC and is categorized into "Essential" and "Leadership" indicators.

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. <u>Details of the listed entity</u>

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity:** The Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Bank is not a company registered under the Companies Act, 1956/2013 and therefore the provisions of the Companies Act including with respect to requirement of CIN are not applicable to the Bank. The Bank has a CIN - 'PUNB' for the limited purpose of filing of IEPF forms on MCA portal.
2. **Name of the Listed Entity:** Punjab National Bank
3. **Year of incorporation:** Incorporated in 1895 and nationalized in 1970 under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
4. **Registered office address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
5. **Corporate address:** Punjab National Bank, Corporate Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
6. **E-mail:** care@pnb.co.in
7. **Telephone:** 011-28044436
8. **Website:** www.pnbindia.in
9. **Financial year for which reporting is being done:** FY 2024-25
10. **Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed:** BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd.
11. **Paid-up Capital:** Rs.2298.59 crore

12. **उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता):** जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है

    नामः श्री अजय कुमार सिंह

    पदः महाप्रबंधक, कार्यनीति प्रबंधन और आर्थिक परामर्श प्रभाग

    टेलीफोन नंबरः 011–28044436

    ईमेल आईडीः eicsmead@pnb.co.in

13. **रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं, एक साथ लिया जाता है)।** इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर हैं जो विभिन्न कारोबार संबंधी वर्टिकल में बैंक के परिचालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

14. **आश्वासन प्रदाता का नामः** मेसर्स उम्मेद जैन एंड कं. (केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक)

15. **प्राप्त आश्वासनों के प्रकारः** बीआरएसआर कोर संकेतक – उचित आश्वासन; सेलेक्ट बीआरएसआर संकेतक – उचित/सीमित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएँ

16. **कारोबारी गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर के 90% के लिए लेखांकन):**

क्र. सं.	प्रमुख गतिविधियों का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1.	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ	बैंक विभिन्न बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें मुख्य रूप से बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जमा आदि और ऋण वित्तपोषण जैसे विभिन्न प्रकार की जमाओं की स्वीकृति शामिल है। इसमें मूलरूप से निम्नलिखित शामिल हैं:	
		(i) रिटेल बैंकिंग – रिटेल बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ रुपये से कम राशि वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं।	**27.50**
		(ii) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग – कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग खंड में ₹7.50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले उधारकर्ताओं की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं।	**42.17**

12. **Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report**

    Name: Shri Ajay Kumar Singh

    Designation: General Manager, Strategic Management and Economic Advisory Division

    Telephone No.: 011-28044436

    Email id: eicsmead@pnb.co.in

13. **Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).** Disclosures made in this report are on a standalone basis focusing on the bank's operation across various business verticals including Foreign branches.

14. **Name of assurance provider:** M/s Ummed Jain & Co. (Central Statutory Auditor)

15. **Type of assurance obtained:** BRSR Core Indicators – Reasonable assurance

II. Products/services

16. **Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):**

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Banking and Financial Services	The bank provides various banking products and financial services primarily including acceptance of various kinds of deposits like savings, term, current, recurring deposit etc. and credit financing. It basically includes following:	
		(i) Retail Banking - The Retail Banking Segment comprises of borrower accounts having exposure of less than ₹7.50 Crores.	**27.50**
		(ii) Corporate/ Wholesale Banking - The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of borrowers having exposure of ₹7.50 Crores and above.	**42.17**

		(iii) ट्रेजरी – ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों एवं डेरिवेटिव अनुबंधों में ट्रेडिंग शामिल है। ट्रेजरी सेगमेंट के राजस्व में मुख्य रूप से फीस और ट्रेडिंग संचालन से लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो पर ब्याज आय शामिल है।	**27.95**
		(iv) अन्य बैंकिंग परिचालन – उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।	**2.38**

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ *(इकाई के टर्नओवर के 90% के लिए लेंखांकन)*:

क्र. सं.	उत्पाद/सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल योगदान वाले टर्नओवर का %
1.	जमा अग्रिम (कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा उधार कॉर्पोरेट ऋण), ट्रेजरी उत्पाद और तृतीय पक्ष सेवाएँ	64191	100%

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्र की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	10189 शाखाएँ, 11822 एटीएम, 1112 प्रशासनिक कार्यालय 731 जिलों में उपस्थिति	23,123
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं*	शाखाएँ: दुबई और गिफ्ट सिटी, अहमदाबाद	02

**एक वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह खंड लागू नहीं है*

19. इकाई द्वारा सेवाएं प्रदत्त बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश (लक्षदीप को छोड़कर)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

लागू नहीं

		(iii) Treasury - The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.	**27.95**
		(iv) Other Banking Operations - Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.	**2.38**

17. Products/Services sold by the entity *(accounting for 90% of the entity's Turnover)*:

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total contributed Turnover
1.	Deposits, Advances (Agriculture lending, MSME Lending, Retail lending, Corporate lending), Treasury Products and Third Party Services.	64191	100%

III. Operations

18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable*	10189 Branches, 11822 ATMs, 1112 admin offices, Presence in 731 districts	23,123
International	Not Applicable*	Branches at: Dubai and Gift City, Ahmedabad	02

**Being a financial service entity this section is Not Applicable.*

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	28 states & 7 UTs (except Lakshadweep)
International (No. of Countries)	1

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not Applicable

ग. ग्राहकों के संक्षिप्त प्रकार

एक वित्तीय सेवा संगठन होने के नाते बैंक ग्राहकों की एक विविधतापूर्ण को पूरा करता है:

बैंकिंग परिचालन में, बैंक व्यक्ति, कॉर्पोरेटस, किसानों, सरकार, स्टार्ट–अप, एमएसएमई आदि सहित विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, और प्रत्येक खंड के लिए उसके पास उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। हमारे ग्राहक विभिन्न उद्योगों और पृष्ठभूमि से आते हैं। बैंक अपनी प्रक्रियाओं और उत्पादों को बेहतर बनाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक केंद्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हम व्यक्तियों, व्यक्तियों के संयुक्त खाते, अनिवासी व्यक्तियों, साझेदारी फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन, कंपनियों, एमएसएमई, सरकार, बड़े कॉरपोरेटस आदि सहित विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। 31.03.2025 तक, बैंक अपने विविध नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 17.68 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल* (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (डी)	102746	77204	75.14%	25542	24.86%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	**कुल कर्मचारी (डी+ई)**	102746	77204	75.14%	25542	24.86%
	कामगार					
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	**कुल कामगार (एफ+जी)**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**सभी तीन संवर्ग अर्थात अधिकारी, लिपिक, अधीनस्तको क्रम संख्या 1 में शामिल किया गया है।*

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)
	दिव्यांग कामगार					
1.	स्थायी (डी)	2925	2385	81.54%	540	18.46%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	**पूरी तरह से दिव्यांग कामगार (एफ+जी)**	2925	2385	81.54%	540	18.46%
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	**पूरी तरह से दिव्यांग कामगार (एफ+जी)**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

c. A brief on types of customers

Being a financial services organization the Bank caters to diverse range of customers:

In banking operation, the Bank caters to various types of customers including Individuals, Corporates, Farmers, Government, Start-ups, MSMEs etc. and has a wide array of products and services for each segment. Our customers come from a wide spectrum of industries and backgrounds. The bank is continuously working to provide customer centric banking services to improve its processes and products and ensure inclusive growth. We cater to diverse range of customers including individuals, joint account of individuals, Non-resident individuals, partnership firm, societies, trust, associations, companies, MSMEs, Government, Large corporates etc. As on 31.03.2025, the Bank proudly serves over 17.68 crore customers across its diverse network and digital platforms.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

S. No.	Particulars	Total* (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
	EMPLOYEES					
1.	Permanent (D)	102746	77204	75.14%	25542	24.86%
2.	Other than Permanent (E)	NA	NA	NA	NA	NA
3.	**Total employees (D + E)**	102746	77204	75.14%	25542	24.86%
	WORKERS					
4.	Permanent (F)	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Other than Permanent (G)	NA	NA	NA	NA	NA
6.	**Total workers (F + G)**	NA	NA	NA	NA	NA

**All three cadres i.e. Officer, Clerk, Sub staff have been included at Sr. No. 1.*

b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
	DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES					
1.	Permanent (D)	2925	2385	81.54%	540	18.46%
2.	Other than Permanent (E)	NA	NA	NA	NA	NA
3.	**Total differently abled employees (D + E)**	2925	2385	81.54%	540	18.46%
	DIFFERENTLY ABLED WORKERS					
4.	Permanent (F)	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Other than Permanent (G)	NA	NA	NA	NA	NA
6.	**Total differently abled workers (F + G)**	NA	NA	NA	NA	NA

21. **महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व** (दिव्यांगों सहित)

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	10	1	10.00%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	7	1	14.29%

नोट:– स्थिति 31.03.2025 तक

22. **स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर** *(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का प्रकटीकरण करें)*

	वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी*	3.27%	3.20%	3.26%	3.92%	2.86%	3.66%	4.48%	3.21%	4.17%
स्थायी कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**टर्नओवर दर की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र के आधार पर सभी प्रकार के निकास (अर्थात त्यागपत्र, मृत्यु, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति आदि) पर विचार किया गया है: (वित्त वर्ष *100 में इकाई का रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या) /श्रेणी में कार्यरत व्यक्तियों की औसत संख्या)*

V. **होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियाँ (संयुक्त वेंचर्स सहित)**

23. (ए) होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ /संयुक्त वेंचर्स के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ/संयुक्त वेंचर्स के नाम (ए)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहयोगी/ संयुक्त वेंचर्स है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
1.	पंजाब नैशनल बैंक (इंटरनैशनल) लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
2.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
3.	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
4.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	अनुषंगी	74.07	नहीं
5.	ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड	अनुषंगी	51.00	नहीं
6.	जेएससी टेंगरी बैंक**	अनुषंगी	41.64	नहीं
7.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	28.10	नहीं
8.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	30.00	नहीं
9.	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	23.00	नहीं
10.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	20.90	नहीं

21. **Participation/Inclusion/Representation of women** (including differently abled)

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	10	1	10.00%
Key Management Personnel	7	1	14.29%

Note: - The position is as on 31.03.2025

22. **Turnover rate for permanent employees and workers** *(Disclose trends for the past 3 years)*

	FY 2024-25			FY 2023-24			FY 2022-23		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees*	3.27%	3.20%	3.26%	3.92%	2.86%	3.66%	4.48%	3.21%	4.17%
Permanent Workers	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

**All kinds of exits (i.e. resignations, deaths, compulsory retirement, termination etc.) have been considered for calculating turnover rate based on the following formula : (No. of persons who have left the employment of the entity in the FY *100) / Average no. of persons employed in the category)*

V. **Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)**

23. **(a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures**

S.No	Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1	Punjab National Bank (International) Ltd, UK	Subsidiary	100	No
2	PNB Investment Services Ltd	Subsidiary	100	No
3	PNB Cards And Services Ltd	Subsidiary	100	No
4	PNB Gilts Ltd	Subsidiary	74.07	No
5	DRUK PNB Bank Limited	Subsidiary	51.00	No
6	JSC Tengri Bank **	Associate	41.64	No
7	PNB Housing Finance Ltd	Associate	28.10	No
8	PNB Metlife India Insurance Co Ltd	Associate	30.00	No
9	Canara HSBC Life Insurance Co Ltd	Associate	23.00	No
10	India SME Asset Reconstruction co. Ltd	Associate	20.90	No

क्र. सं.	होल्डिंग/अनुषंगी/ सहयोगी कम्पनियाँ/संयुक्त वेंचर्स के नाम (ए)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त वेंचर्स है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
11.	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड	सहयोगी	20.02	नहीं
12.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
13.	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
14.	पंजाब ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
15.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
16.	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
17.	असम ग्रामीण विकास बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
18.	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
19.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं
20.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	सहयोगी	35.00	नहीं

***एएफआर (वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी, कजाकिस्तान) ने 18.09.2020 से जेएससी टेंगरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो परिसमापन के अधीन है।*

VI. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विवरण

24. (i) नहीं, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर प्रावधान पंजाब नैशनल बैंक पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संस्था के रूप में जो है, बैंक के पास सीएसआर पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII द्वारा निर्देशित है। हमारी सीएसआर गतिविधियाँ समाज को वापस लौटाने और समुदायों के उत्थान के प्राथमिक उद्देश्य से संचालित होती हैं।

(ii) टर्नओवर (रु. में) – ₹1,38,070.10 करोड़

(iii) नेटवर्थ (रु. में) – ₹97,497.99 करोड़

S.No	Name of the holding / subsidiary / associate companies / joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
11	Everest Bank Ltd	Associate	20.02	No
12	Dakshin Bihar Gramin Bank	Associate	35.00	No
13	Himachal Pradesh Gramin Bank	Associate	35.00	No
14	Punjab Gramin Bank	Associate	35.00	No
15	Sarva Haryana Gramin Bank	Associate	35.00	No
16	Prathama UP Gramin Bank	Associate	35.00	No
17	Assam Gramin Vikas Bank	Associate	35.00	No
18	Bangiya Gramin Vikas Bank	Associate	35.00	No
19	Manipur Rural Bank	Associate	35.00	No
20	Tripura Gramin Bank	Associate	35.00	No

***AFR (Agency for Regulation and Development of Financial Market, Kazakhstan) revoked license of JSC Tengri Bank w.e.f.18.09.2020 which is under liquidation.*

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

No, CSR provisions are not applicable to Punjab National Bank as per Section 135 of Companies Act. However, as a socially responsible institution committed to strengthening social ties with the community at large, the bank has a board approved Policy on CSR which is reviewed annually. It is guided by Schedule VII of the Companies Act 2013 under Ministry of Corporate Affairs concerning Corporate Social Responsibility. Our CSR activities are driven by the primary motive of giving back to society and uplifting our communities.

(ii) Turnover (in Rs.) – Rs.1,38,070.10 Crore

(iii) Net worth (in Rs.) – Rs.97,497.99 Crore

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवादः

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	स्थापित शिकायत निवारण तंत्र (हाँ/नहीं) *(यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)*	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	शून्य						
निवेशकों (शेयरधारकों के अलावा)	www.pnbindia.in	शून्य					
शेयरधारकों#	हां बैंक की कॉर्पोरेट वेब साइट पर निवेशक कोर्नर में विस्तृत जानकारी दी गई हैं https://www.pnbindia.in/basic-information.html	47	0	शून्य	32	0	शून्य
कर्मचारी और कामगार	हां–आंतरिक इंट्रानेट पर उपलब्ध एचआरएमएस के माध्यम से "पीएनबी समाधान" (एचआर मामलों से संबंधित शिकायतें)	3661	121	लंबित शिकायतें टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) के अंदर हैं।	2368	29	शून्य
ग्राहक*	हाँ, पॉलिसी को कॉर्पोरेट वेबसाइट www.pnbindia.in पर **'ग्राहक सेवा – नीतियां'** टैब के अंतर्गत रखी गई है।	सीजीआरएमएस– 1,07,136 सीआरएम – 10,32,694 कुल – 11,39,830	28,855	उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया हो।	सीजीआरएमएस– 1,04,520 सीआरएम – 10,25,675 कुल – 11,30,195	32,351	उन शिकायतों को छोड़कर जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिन के भीतर कर दिया गया हो।
मूल्य श्रंखला भागीदार	लागू नहीं						
अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य						

**सीआरएम मॉड्यूल डिजिटल शिकायतों के प्रबंधन के लिए है और सीजीआरएमएस पोर्टल गैर–डिजिटल शिकायतों का प्रबंधन करता है। डिजिटल और गैर–डिजिटल शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज करने, ट्रैक करने, निगरानी करने और हल करने के लिए, वित्त वर्ष 2025–26 में सीआरएम पोर्टल के अंतर्गत एक नया मॉड्यूल पेश किया गया है। इससे शिकायतों का दक्षता और त्वरित समाधान बढ़ेगा।*

 # बॉण्डधारकों से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं।

26. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्र. सं.	महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें)
1	पर्यावरणः जलवायु परिवर्तन जोखिम– लू, लहरों, चक्रवातों और बाढ़ की गंभीरता में वृद्धि	आर	भौतिक आस्तियों को क्षति पहुंचने के कारण वित्तीय प्रभाव में वृद्धि, परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होना तथा प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास को प्रभावित करना	बैंक नियमित जोखिम मूल्यांकन करना, पोर्टफोलियो और खाता स्तर के जोखिम का आकलन करना, तथा जोखिम प्रबंधन योजना और आधारभूत संरचना ढांचे का तन्यकता विकसित करना।	भौतिक आस्तियों की क्षति और परिचालन में व्यवधान के कारण वित्तीय हानि।

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) *(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)*	FY 2024-25			FY 2023-24		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	NIL						
Investors (other than shareholders)	www.pnbindia.in	NIL					
Shareholders#	Yes, the details are given in Investor Corner at Bank's corporate website: https://www.pnbindia.in/basic-information.html	47	0	Nil	32	0	Nil
Employees and workers	Yes-Internal "PNB Samadhaan" through HRMS (complaints related to HR matters)	3661	121	Pending complaints are lying within Turnaround Time (TAT).	2368	29	Pending complaints are lying within Turnaround Time (TAT).
Customers*	Yes, Policy is placed at the Corporate Website www.pnbindia.in, under Tab **'Customer Care – Policies'.**	CGRMS– 1,07,136 CRM – 10,32,694 Total– 11,39,830	28,855	Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.	CGRMS– 1,04,520 CRM – 10,25,675 Total– 11,30,195	32,351	Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.
Value Chain Partners	Not Applicable						
Other (please specify)	NIL						

* *CRM Module is for management of digital complaints and CGRMS portal manages non-digital complaints. To lodge, track, monitor and resolve digital and non-digital complaints through a single platform, a new module under CRM portal has been introduced in FY'2025-26. This will enhance efficiency and quick resolution of complaints.*

\# *Including complaints received from Bondholders.*

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental, social and governance matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.

Sl No	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Environmental: Climate change Risk- Increased Severity of heatwaves, cyclones and floods	R	Increased Financial Impact due to damage to physical assets, cause Operational Disruptions and affect reputation and customer trust	The Bank conducts regular risk assessments , assessing portfolio and account level exposure, and develop risk management plan and infrastructure resilience .	Financial Loss due to damage to physical assets and disruptions in operations.

क्र. सं.	महत्वपूर्ण समस्या जिसकी पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ सकारात्मक या नकारात्मक आशय इंगित करें)
2	सामाजिकः संक्रमण जोखिम– कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, उन्नत उत्सर्जन रिपोर्टिंग दायित्व, कम उत्सर्जन विकल्पों के साथ मौजूदा उत्पादों और सेवाओं का प्रतिस्थापन	आर	अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण, कुछ क्षेत्रों को परिसंपत्ति अवमूल्यन और ऋण चूक के उच्च जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, नए नियमों, प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ता वरीयताओं के अनुकूल होने के लिए संक्रमण जोखिम का पता लगाना आवश्यक है।	शमन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग रणनीति का पालन किया जाएगा 1. हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना 2. ब्राउन सेक्टरों के लिए सतर्क दृष्टिकोण 3. हार्ड टू एबेट क्षेत्रों में दक्षता की ओर जोर देना	नकारात्मक
3	सामाजिक/समाजीयः स्थिर/सतत वित्त	ओ	नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और स्थिर कृषि में उभरते बाजारों में बेहतर विकास की संभावना है।	लागू नही	सतत वित्त बैंक को नए उभरते बाजारों में प्रवेश करने और अपने जोखिम पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सहायता करेगा।
4	अभिशासनः डेटा गोपनीयता	आर	व्यापक गोपनीय वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच के कारण बैंक निरंतर साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों का केंद्र बन जाता है।	बैंक एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को प्राथमिकता देता है, जिसकी देखरेख समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (GCISO) द्वारा की जाती है और समर्पित साइबर सूचना सुरक्षा प्रभाग (ब्स्क) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह प्रभाग नियंत्रण कार्यान्वयन तथा परिनियोजन से लेकर निरंतर निगरानी तक साइबर सुरक्षा के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करता है, साइबर खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के विरुद्ध हमारे आईटी अवसंरचना को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखता है।	डेटा उल्लंघन या डेटा की हानि से ग्राहकों के विश्वास का ह्रास हो सकता है और अंततः व्यापार में नुकसान हो सकता है
5	सामाजिकः वित्तीय समावेशन	ओ	बैंकों को पहले से पहुँच से दूर क्षेत्रों में प्रवेश करने और ग्राहक आधार का विस्तार करने में सहाता करता है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंक व्यक्तियों और लघु कारोबारों को सशक्त बनाकर सामाजिक और न्यायसंगत विकास को सक्षम बनाता है।	लागू नहीं	इससे बैंक की बड़े पैमाने पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी तथा बाजार में उसकी पहचान बढ़ेगी। बैंक को व्यापक श्रेणी के ग्राहकों को वित्तीय उत्पाद प्रदान करने तथा अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में सहायता करता है।
6	सामाजिकः ग्राहक केन्द्रितता	ओ	ग्राहक–केन्द्रितता अपनाने से बैंक की स्थायी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी ग्राहक संबंध विकसित करने की क्षमता मजबूत होती है।	लागू नहीं	ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि से ग्राहक प्रतिधारण बढ़ता है, नए ग्राहक जुडते हैं और राजस्व में स्थायी वृद्धि होती है।
7	अभिशासनः विनियामक अनुपालन	ओ	विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने से बैंकों को विधिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने में सहायता मिलती है तथा अपने हितधारकों के साथ विश्वास स्थापित होता है।	लागू नहीं	नियामक उपायों के अनुपालन से बैंकों को अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी तथा अत्यधिक जोखिम लेने और वित्तीय अस्थिरता की संभावना कम होगी।

Sl No	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
2	Societal: Transition Risk- Carbon Pricing mechanism, Enhanced emissions reporting obligations, Substitution of existing products and services with lower emissions options	R	As the economy transitions, certain sectors may face higher risks of asset devaluation and credit defaults, adapting to new regulations, technologies, and consumer preferences require addressing transition risk.	Segmented strategy for different sectors is followed for mitigation 1. Promote Green sectors 2. Cautious approach for Brown sectors 3. Push towards efficiency in Hard to Abate sectors	Negative
3	Societal: Sustainable Finance	O	Emerging markets in Renewable Energy, Green Transport & Sustainable Agriculture offer strong growth potential	NA	Sustainable finance will aid the Bank to enter into new emerging markets and diversify its risk portfolio
4	Governance:Data Privacy	R	Access to extensive confidential financial and personal data makes the Bank a constant target for cyber-attacks and data breaches.	The Bank prioritizes a strong cybersecurity framework, overseen by the Group Chief Information Security Officer (GCISO) and executed by the dedicated Cyber Information Security Division (CISD). This division manages the full lifecycle of Cybersecurity, from control implementation and deployment to continuous monitoring, effectively safeguarding our IT infrastructure against a wide range of cyber threats. To reinforce our defenses, the Bank keeps upgrading its cybersecurity components. These efforts are complemented by a dedicated Cybersecurity Compliance Team, which ensures strict adherence to regulatory mandates.	Data Breaches or Loss of Data could lead to erosion of customer trust and eventually loss in business
5	Societal: Financial Inclusion	O	Allows Banks to tap into previously unreached segments and expand customer base while enabling social and equitable development by empowering individuals and small businesses.	NA	Expands the Bank's ability to serve a wide range of customers, increasing market penetration.
6	Societal: Customer Centricity	O	Adopting customer centricity strengthens the bank's ability to cultivate lasting and mutually beneficial client relationships.	NA	Increased customer satisfaction leads to higher customer retention, securing new customers and sustainable revenue growth.
7	Governance: Regulatory Compliance	O	Ensuring regulatory compliance helps Banks to operate within the bounds of law and thus establish trust with its stakeholders.	NA	Compliance with the regulatory measures will help banks promote sound practices and reduce the likelihood of excessive risk taking and financial instability.

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य कारोबारों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

क्र. सं.	सिद्धांत विवरण
पी1	कारोबारों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित तथा अभिशासित करना चाहिए।
पी2	कारोबारों को वस्तुओं और सेवाओं को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए।
पी3	कारोबारों को अपने मूल्य शृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।
पी4	कारोबारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
पी5	कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी6	कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए।
पी7	कारोबारों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।
पी8	कारोबारों को समावेशी विकास तथा समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
पी9	कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	नीतियां बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ नीतियां आंतरिक नीतियां हैं और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए उपलब्ध हैं।								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हाँ, नीतियों को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया गया है।								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं? (हां/नहीं)	लागू नहीं								
4. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कोड /प्रमाणन /लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम आपके निकाय द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।	लागू नहीं								
5. परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, यदि कोई हो।	नीतियों के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का कार्यनिष्पादन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।	बैंक के अलग–अलग विभाग हैं जो नीति की प्रतिबद्धताओं, ध्येय और लक्ष्यों की निगरानी करते हैं। बोर्ड समय–समय पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा भी करता है।								
अभिशासन, नेतृत्व और पर्यवेक्षण									

7. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थानन के संबंध में लचीलापन है)।

पंजाब नैशनल बैंक में, हम पर्यावरण, समाज और अभिशासन के सिद्धांतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं। हम समझते हैं कि हमारी भूमिका पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थता से परे है और इस प्रकार पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) प्रथाओं को परिचालन के ढांचे में एकीकृत करना न केवल एक रणनीतिक अनिवार्यता है, बल्कि हमारे सभी हितधारकों के लिए एक लचीला और जिम्मेदार भविष्य निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

हम अपने प्रमुख कार्यों में ईएसजी विचारों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहे हैं। इसमें ऋण पोर्टफोलियो में पर्यावरणीय जोखिमों और अवसरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन, हरित परियोजनाओं के लिए संधारणीय वित्तपोषण को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता और संसाधन संरक्षण उपायों के माध्यम से परिचालन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए गहनता से कार्य करना सम्मिलित है।

हमारे बैंक की एक जलवायु जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (TCFD) पर टास्क फोर्स के चार स्तंभ – शासन, रणनीति, जोखिम प्रबंधन और मीट्रिक और लक्ष्य सम्मिलित हैं। बैंक ने एक समर्पित स्थिरता प्रकोष्ठ का गठन तथा एक स्थिरता सूचकांक (ईएसजी रेटिंग मॉडल) विकसित किया है,

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

S No.	Principle Description
P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.
P7	Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner.

Disclosure Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	The policies are available on the Bank's website www.pnbindia.in. However, some policies are internal policies and available to internal stakeholders only.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Yes, the policies have been translated into procedures.								
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Not Applicable								
4. Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Not Applicable								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No specific target is being set under the policies.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	The Bank has separate departments that monitor the commitments, goals and targets of the policy. The Board also reviews the performance periodically from time to time.								
Governance, leadership and oversight									

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure).

At Punjab National Bank, we are conscious of our responsibility towards the environment, the society, and the principles of good governance. We understand that our role extends beyond traditional financial intermediation and thus integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) practices into the fabric of operations is not just a strategic imperative, but a reflection of our commitment to building a resilient and responsible future for all our Stakeholders.

We are proactively embedding ESG considerations across our key functions. This includes a meticulous assessment of environmental risks and opportunities in lending portfolios, promoting sustainable financing for green projects, and diligently working to minimize operational carbon footprint through energy efficiency and resource conservation measures.

Our Bank has a dedicated Climate Risk Management Policy incorporating four pillars of Task force on Climate related Financial Disclosures (TCFD's) – Governance, Strategy, Risk Management and Metrics & Targets. The Bank has also formed a dedicated Sustainability Cell and developed a Sustainability Index (ESG Rating Model) which has enabled the Bank to assess the sustainability and resilience of borrowers,

जिसने बैंक को उधारकर्ताओं की स्थिरता और लचीलेपन का आकलन करने में सक्षम बनाया है, जिससे जोखिम मूल्यांकन और शमन में सहायता मिली है। बैंक PCAF (कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए भागीदारी) हस्ताक्षरकर्ता भी बन गया है और वित्तपोषित उत्सर्जन के प्रकटीकरण से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान पालन किया है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा को केंद्रित ऋण देने इसके विकास और वित्तपोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए हमारा सर्वोत्तम क्षेत्र घोषित किया गया है।

हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता वित्तीय समावेशन, वंचित समुदायों को सशक्त बनाने और कर्मचारियों के लिए विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने में प्रकट होती है। हम सामुदायिक सहभागिता पहलों को मजबूत कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बैंकिंग सेवाएँ समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हों। हम वित्तीय साक्षरता में वृद्धि, कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर ज्ञान को उन्नत करने और अपने बैंक में वित्तीय साक्षरता केंद्रों, किसान प्रशिक्षण केंद्रों और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों जैसे पूर्ण रूप से परिभाषित सेटअप के माध्यम से स्वरोजगार उद्यमध्नौकरी शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, मजबूत शासन हमारे संचालन का आधार बनता है। हम अपने सभी व्यवहारों में नैतिक आचरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं। हमारा बोर्ड और प्रबंधन यह सुनिश्चित करते हुए कि ये सिद्धांत अक्षरशः और भावना में अंतर्निहित हैं और हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कॉर्पोरेट संस्कृति का मार्गदर्शन करते हैं। सक्रिय रूप से ESG कार्यसूची का संचालन कर रहा है,

बैंकिंग परिदृश्य में ESG एकीकरण समय की मांग है। यह न केवल उभरते जोखिमों के प्रति हमारी लचीलापन बढ़ाता है और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को मजबूत करता है, अपितु ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों की बदलती अपेक्षाओं के साथ हमें संरेखित भी करता है। संधारणीय प्रथाओं को अपनाकर, हम एक स्वस्थ ग्रह, अधिक न्यायसंगत समाज और अधिक स्थिर वित्तीय प्रणाली में योगदान दे रहे हैं।

पंजाब नैशनल बैंक में हम ईएसजी एकीकरण की निरंतर यात्रा पर हैं। हमारा मानना है कि ईएसजी को प्राथमिकता देकर हम एक मजबूत, अधिक टिकाऊ बैंक बना सकते हैं जो राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में सार्थक योगदान दे।

8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री डी. सुरेन्द्रन कार्यपालक निदेशक (डीआईएन नं. 10174317)
9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	जी हाँ। स्थिरता से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में स्थिरता एवं लचीलापन समिति (एसएआरसी) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति (बोर्ड की उप-समिति) को स्थिरता से संबंधित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/ कोई अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया बताएं)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	बैंक बोर्ड नीतियों की समीक्षा करता है और समीक्षा के पश्चात आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।									वार्षिक								
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	बैंक सक्षम प्राधिकारियों की समीक्षा के अधीन लागू मौजूदा विनियमों का अनुपालन कर रहा है।									वार्षिक								

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	जी नहीं								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था अपने कारोबार के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं								
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

aiding in risk assessment and mitigation. Bank has also become PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) signatory and honored its commitments related to disclosures of financed emissions. Additionally, Renewable Energy has been declared as our Champion Sector for focused lending, reinforcing our commitment to its growth and financing.

Our social commitment is manifested in unwavering focus on financial inclusion, empowering marginalized communities, and fostering a diverse and inclusive workplace for the employees. We are strengthening community engagement initiatives and ensuring that banking services are accessible to all segments of society. We remain committed to provide training for enhancing financial literacy, upgrading knowledge on agriculture & allied activities and skill upgradation activities to undertake self-employment ventures/jobs via well-defined setup at our Bank such as Financial Literacy Centres, Farmer Training Centres and Rural Self Employment Training Institutes.

Apart from this, Robust governance forms the basis of our operations. We uphold the highest standards of ethical conduct, transparency, and accountability in all our dealings. Our Board and management are actively steering the ESG agenda, ensuring that these principles are embedded in letter and spirit and guide our decision-making processes and corporate culture.

ESG integration in banking landscape is the need of the hour. It not only enhances our resilience to emerging risks and strengthens long-term value creation, but also aligns us with the evolving expectations of customers, investors, and regulators. By embracing sustainable practices, we are contributing to a healthier planet, a more equitable society, and a more stable financial system.

At Punjab National Bank, we are on a continuous journey of ESG integration. We believe that by prioritizing ESG, we can build a stronger, more sustainable Bank that contributes meaningfully to the progress and prosperity of the nation.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri D.Surendran Executive Director (DIN No. 10174317)
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes. Sustainability and Resilience Committee (SARC) headed by MD & CEO has been formed for governance of sustainability related activities. Further, Risk Management Committee (sub-committee of Board) has been assigned sustainability related roles and responsibilities.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
Performance against above policies and follow up action	Bank's Board reviews the policies and the necessary changes are implemented post review.									Annually								
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable subject to review by the competent authorities.									Annually								

	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	NO								

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	Not Applicable								
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)									
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)									
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)									
Any other reason (please specify)									

खंड सी: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य इकाई के सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रुप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रुप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकंक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1 कारोबारों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	13	सभी	100.00%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	3	सिद्धांत 1 सिद्धांत 3, सिद्धांत 8, सिद्धांत 9	100.00%*
निदेशक मण्डल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी	1949	सभी	59.50%
श्रमिक	लागू नहीं		

**केएमपी पद पर सीएफओ और सीएस पर विचार किया जा रहा है।*

2. **वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/अधिनिर्णय/यौगिक शुल्क/निपटान राशि का विवरण। (नोटः इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।):**

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
जुर्माना/दंड	-	भारतीय रिजर्व बैंक	₹1,31,80,000/-	'ऋण एवं अग्रिम – वैधानिकं और अन्य प्रतिबंध', और 'भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)) निर्देश, 2016' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना।	नहीं
	-	भारतीय रिजर्व बैंक	₹28,11,708/-*	भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशानुसार करेंसी चेस्टों के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना।	नहीं
	-	बी.एस.ई. लिमिटेड	₹5,000/- (जुर्माना)	भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशानुसार करेंसी चेस्टों के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना।	नहीं
	-	भारतीय रिजर्व बैंक	₹1,44,600/-	आरबीआई के करेंसी चेस्ट नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सीवीपीएस (मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण) के दौरान नोटों की कमी का पता चला।	नहीं
	-	भारतीय रिजर्व बैंक	₹3,83,400/-	आरबीआई के करेंसी चेस्ट मेनपूरी, उत्तर प्रदेश में सीवीपीएस (मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण) के दौरान नोटों की कमी का पता चला।	नहीं

**आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना वित्त वर्ष 2024–25 के लिए समेकित है।*

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as "Essential" and "Leadership". While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

ESSENTIAL INDICATORS

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics /principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	13	All	100.00%
Key Managerial Personnel	3	Principle 1, Principle 3, Principle 8, Principle 9	100.00%*
Employees other than BoD and KMPs	1949	All	59.50%
Workers	NA		

** Considering CFO and CS in the KMP position.*

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year. (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
Details	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Penalties/ Fines	-	Reserve Bank of India	Rs. 1,31,80,000/-	Non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans and Advances - Statutory and Other Restrictions', and 'Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) Direction, 2016'.	No
	-	Reserve Bank of India	Rs.28,11,708/-*	Non-compliance with operational guidelines of currency chests as per Master Directions of RBI	No
	-	BSE Ltd.	Rs.5,000/- (fine)	Non-submission of Intimation of Board Meeting under Regulation 50 (1)(d) of SEBI LODR Regulations, 2015	No
	-	Reserve Bank of India	Rs.1,44,600/-	Shortage of notes detected during CVPS (Currency Verification and Processing) at RBI for Currency Chest Navyug Market, Ghaziabad, U.P.	No
	-	Reserve Bank of India	Rs.3,83,400/-	Shortage of notes detected during CVPS (Currency Verification and Processing) at RBI for Currency Chest Mainpuri, U.P.	No

** The penalty by RBI is consolidated for the FY2024-25*

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में पसंदीदी अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियाँ/न्यायिक संस्थाओं का नाम
शून्य	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

जी हाँ, बैंक के पास निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से अनैतिक व्यवहारों, भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और धन की हेराफेरी की जाँच करने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति है। यह निवेशक और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने और संगठन की दक्षता और विकास में सुधार के लिए पारदर्शिता, नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति को लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही पर आधारित व्यवहारों को सुनिश्चित करना और बैंक के हितों की रक्षा करना और सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है। यह नीति https://www.pnbindia.in/whistle-blower-policy.html वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त बैंक के पास कोई अन्य चौनल भी है जिनके माध्यम से ग्राहक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की घटनाओं की रिपोर्ट जैसे बैंक का ऑन–लाइन शिकायत निवारण पोर्टल सेंट्रलाइज्ड ग्रिवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (CGRMS), संपर्क केंद्र, ईमेल care@pnb.co.in पर कर सकते हैं।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गईः

विवरण	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
निदेशक	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरणः

	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

3. **Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
NIL	

4. **Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.**

Yes, The Bank has a Whistle Blower Policy to check unethical practices, corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds through preventive vigilance measures. It is committed to enhance investor and other stakeholders' confidence and set high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The objective of having the policy in place is to ensure practices based on transparency, accountability and protect the interest of the bank and adhere to the statutory and regulatory requirements. The policy is present on the website https://www.pnbindia.in/whistle-blower-policy.html. Besides this, bank also has various other channels through which customers can report instances of corruption and bribery like bank's on-line grievance redressal portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), contact centers, email at care@pnb.co.in.

5. **Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	NIL	NIL
Workers	NIL	NIL

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest:**

Details	FY 2024-25		FY 2023-24	
	No.	Remarks	No.	Remarks
No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors.	Nil	Not Applicable	Nil	Not Applicable
No. of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	Not Applicable	Nil	Not Applicable

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):**

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
देय खातों के दिनों की संख्या	54 दिन	42 दिन

9. **कारोबार का खुलापन**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	मेट्रिक	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खरीदारी का संकेन्द्रण	ए. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	बी. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	सी. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	ए. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को की गई बिक्री	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	बी. डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
	सी. डीलरों/वितरकों को की गई कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
आरपीटी का हिस्सा	ए. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	0.00%	0.00%
	बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)*	0.51%	1.21%
	सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	0.92%	0.96%
	डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	0.00%	0.18%

**ऋण के समनुदेशन पर प्राप्त ब्याज और अन्य शुल्क, प्राप्त किराया, कमीशन, प्राप्त लाभांश आदि शामिल हैं।*

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.**

Not Applicable

8. **Number of days of accounts payables (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:**

	FY 2024-25	FY 2023-24
Number of days of accounts payables	54 days	42 days

9. **Open-ness of business**

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Parameter	Metric	FY 2024-25	FY 2023-24
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	Not Material	Not Material
	b. Number of trading houses where purchases are made from	Not Material	Not Material
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses	Not Material	Not Material
Concentration of Sales	a. Sales to dealers / distributors as % of total sales	Not Material	Not Material
	b. Number of dealers / distributors to whom sales are made	Not Material	Not Material
	c. Sales to top 10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors	Not Material	Not Material
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases)	0.00%	0.00%
	b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)*	0.51%	1.21%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	0.92%	0.96%
	d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)	0.00%	0.18%

**Including interest and other charges received on assignments of loan, rent received, commission, dividend received, etc.*

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमः

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
शून्य		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हां, बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचनेध्प्रबंधित करने की प्रक्रियाएं बोर्ड के सभी सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता में शामिल हैं। आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में पुष्टि निदेशकों से ज्वाइनिंग के समय और उसके बाद वार्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है।

सिद्धांत 2 कारोबार को इस तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करना चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हो

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास एवं पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	शून्य
पूंजीगत व्यय	शून्य	₹26.21 लाख	**वित्त वर्ष 2024–25:** वित्त वर्ष 2024–25 में अखिल भारतीय स्तर पर 1486 किलोवाट प्रति यूनिट क्षमता के लिए रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना परियोजना शुरू की गई है। परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और भुगतान वित्त वर्ष 2025–26 में किया जाएगा, इसलिए चालू वित्त वर्ष में राशि शून्य रिपोर्ट की गई है। **वित्त वर्ष 2023–24:** द्वारका बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। इसमें 60 किलोवाट के 2 डुअल गन डीसी फास्ट चार्जर और 7.5 किलोवाट के 3 टाइप 2 एसी चार्जर शामिल हैं। कुल लागतः ₹26.21 लाख

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Awareness programs conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:**

Total no. of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
NIL		

2. **Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If yes, provide details of the same.**

Yes, processes to avoid / manage conflicts of interests involving members of the Board are included in the Model Code of Conduct for all members of the Board. Confirmation with regard to adherence to the Model Code of Conduct is obtained from the Directors at the time of joining and thereafter, on annual basis.

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

1. **Percentage of Research and Development and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

Details	FY 2024-25	FY 2023-24	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	NIL	NIL	NIL
Capex	NIL	₹26.21 lacs	**FY 2024-25:** Rooftop Solar Power installation project has been initiated in FY 2024-25 for 1487 KWP capacity on PAN India basis. The project is under implementation stage and payment will be processed in FY 2025-26, hence the amount is reported as Nil in current FY. **FY 2023-24:** Electrical Vehicle Charging infrastructure has been set up at HO Dwarka building. It includes 2 no. of 60 KW Dual Gun DC Fast Charger and 3 nos. of 7.5 KW Type 2 AC Charger. Total cost: ₹26.21 lacs

2\. ए. **क्या इकाई के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)**

चूंकि बैंक वित्तीय सेवा क्षेत्र में है, इसलिए परिचालन के लिए कागज को छोड़कर सामग्री की खरीद महत्वपूर्ण नहीं है। कार्यालय के लिए अन्य खरीद के लिए, बैंक के पास एक खरीद नीति है जिसमें स्थिरता सोर्सिंग दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, जैसे ऐसी इकाइयों की स्टार रेटिंग के लिए न्यूनतम सीमा की खरीद, ऊर्जा कुशल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए न्यूनतम मानक।

बी. **यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किये गये ?**

इन इनपुट को वर्तमान में हमारी रिपोर्टिंग में मात्राबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमा स्वीकार करना और वित्तपोषण प्रदान करना शामिल है। बैंक के मुख्य कारोबार संचालन की तुलना में स्थायी साधनों के माध्यम से प्राप्त इनपुट का अनुपात न्यूनतम रहता है। फिर भी, बैंक अपने खरीद दिशानिर्देशों के अनुपालन में वस्तुओं का स्रोत बनाता है, जिसमें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों द्वारा परिचालित नीति सामान्य वित्तीय नियम शामिल होते हैं।

3\. **(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, रिसाइक्लिंग और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनरू प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

बैंक अपने सामान्य परिचालन के दौरान 'भौतिक' उत्पाद प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए बैंकिंग व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उत्पादों का पुनः दावा लागू नहीं होता है।

4\. **क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान करें।**

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बैंक की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

<u>नेतृत्व संकेतक</u>

1\. **क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) संचालित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवाओं का नाम	कुल कारोबार का % योगदान	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) यदि हां तो वेब-लिंक प्रदान करें
बैंक ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन नहीं किया है।					

2\. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**

As the Bank is in the Financial Services sector, material purchase for operations is not significant except for paper. For other procurement for office, the Bank has a Procurement policy wherein sustainability sourcing guidelines are mandated, like purchase of minimum threshold for star ratings of AC units, minimum standards for procurement of energy efficient electrical & electronic equipments.

b. **If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?**

These inputs are not currently quantified in our reporting as the primary functions of the Bank include the acceptance of deposits and providing financing. The proportion of inputs sourced through sustainable means remains minimal in comparison to the Bank's core business operations. Nonetheless, the bank sources items in compliance with Bank's procurement guidelines which incorporates the General Financial Rules circulated by department of Expenditure, Ministry of Finance and Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.

3\. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.**

The Bank does not have 'physical' product offerings in the normal course of its operations and hence reclamation of products is not applicable given the nature of the banking business.

4\. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

Extended Producer Responsibility (EPR) is not applicable to the Bank's activities.

<u>LEADERSHIP INDICATORS</u>

1\. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

NIC Code	Name of Product / Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
The Bank has not conducted any Life Cycle Perspective / Assessments during the reporting period.					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से जिसकी पहचाना की गई है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ–साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद का नाम/सेवा	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) (मूल्य के अनुसार) में उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री का उल्लेख करें	उपयोग की गई कुल सामग्री में रीसाइकल या पुनःउपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
शून्य		

4. उत्पादों की उपयोग क्षमता की समाप्ति पर बेकार उत्पाद से तैयार माल और पैकेजिंग, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, रीसाइकल और सुरक्षित रूप से निपटाए गए उत्पाद की मात्रा (मीट्रिक टन में):

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	पुनः उपयोग किए	रीसाइकल	सुरक्षित रूप से निपटाए गए	पुनः उपयोग किए	रीसाइकल	सुरक्षित रूप से निपटाए गए
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	बैंक के उत्पादों/सेवाओं के प्रयोग के बाद कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है; इसलिए बैंक द्वारा ऐसे किसी अपशिष्ट को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है।					
ई–कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी बताएं	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में बेकार उत्पाद से तैयार माल और उनकी पैकेजिंग सामग्री
लागू नही	

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

Name of Product / Service	Description of the risk / concern	Action Taken
Not applicable	Not applicable	Not applicable

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2024-25	FY 2023-24
Nil		

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:**

Particulars	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	Bank's products/services do not result in post consumption waste generation; hence no such waste is reclaimed by the Bank.					
E-waste						
Hazardous waste						
Other waste						

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
Not Applicable	

सिद्धांत 3 कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरण:

वर्ग	कुल (ए)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %								डे केयर सुविधाएं	
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ			
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (इ/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
		स्थायी कर्मचारी									
पुरुष	77204	77204	100	77204	100	0	0	77204	100	09	0.01%
महिला	25542	25542	100	25542	100	25542	100	0	0	51	0.20%
कुल	102746	102746	100	102746	100	25542	100	77204	100	60	0.06%
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

बी. कामगारों के कल्याण हेतु किए गए उपायों का विवरण:

वर्ग	कुल (ए)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %								डे केयर सुविधाएं	
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ			
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (इ/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
		स्थायी कर्मचारी									
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सी. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर–स्थायी सहित) के कल्याण के हेतु किए गए उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.29%	0.47%

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

ESSENTIAL INDICATORS

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

Category	Total (A)	% of employees covered by								Day Care facilities	
		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits			
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F/ A)
		Permanent employees									
Male	77204	77204	100	77204	100	0	0	77204	100	09	0.01%
Female	25542	25542	100	25542	100	25542	100	0	0	51	0.20%
Total	102746	102746	100	102746	100	25542	100	77204	100	60	0.06%
Other than Permanent employees											
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

b. **Details of measures for the well-being of workers:**

Category	Total (A)	% of workers covered by								Day Care facilities	
		Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits			
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
		Permanent workers									
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other than Permanent workers											
Male	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

c. **Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format**

	FY 2024-25	FY 2023-24
Cost incurred on wellbeing measures as a % of total revenue of the company	0.29%	0.47%

2. **चालू वित्तीय वर्ष और गत वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।**

लाभ	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचा. रियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	संख्या % के रूप में कवर किए गए कर्मचारी कुल कर्मचारी	संख्या कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिक	कटौती की गई और प्राधिकरण में जमा की गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	0.16%	लागू नहीं	हाँ *	0.2%	लागू नहीं	हाँ *
ग्रेच्युटी	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य – पेंशन	19.34%	लागू नहीं	हाँ *	21.93%	लागू नहीं	हाँ *
अन्य –एनपीएस	80.50%	लागू नहीं	हाँ	77.88%	लागू नहीं	हाँ

**कटौती की गई और बैंक के स्वयं के पीएफ और पेंशन ट्रस्ट में जमा की गई*

3. **कार्यस्थलों तक पहुंच**

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

- बैंक लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालय/शाखाएं दिव्यांगजनों (कर्मचारी और ग्राहक दोनों) के लिए बिना किसी असुविधा के पहुँच योग्य हों, इसके लिए रैंप सुविधा और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। बैंक के अपने भवनों के निर्माण और लीज के आधार पर परिसर किराए पर लेने के दौरान इसका ध्यान रखा जाता है।
- स्थायी रैंप प्रदान करने के प्रयास किए जाते है, हालांकि, ऐसे मामलों में जहाँ लीज के परिसर में स्थायी रैंप उपलब्ध नहीं है, वहाँ अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की जाती है। दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करने के दिशा–निर्देश बैंक द्वारा लीज परिसर किराए पर लेने की नीति में शामिल किए गए है। इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार को नियमित आधार पर इसके अनुपालन की सूचना भी दी जाती है।
- इसके अलावा, बैंक दिव्यांगजनों को डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी भी प्रदान करता है।
- दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के कुल 11,822 एटीएम में से 11,141 एटीएम (अर्थात 94.24% एटीएम) और बैंक की कुल 10,189 शाखाओं में से 8,525 शाखाओं (अर्थात 83.67% शाखाएं) में रैम्प की सुविधा है। शेष शाखाओं (16.33%) और एटीएम (5.76%) के लिए रैंप सुविधा प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां पट्टे पर दिए गए परिसर में स्थायी रैंप उपलब्ध नहीं है, वहां अस्थायी रैंप की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, बैंक दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अन्तः दृष्टि नाम से ब्रेल डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। इस कार्ड पर ब्रेल लिपि में बिंदु अंकित हैं, जिससे ग्राहकों को बैंक और उनके कार्ड की पहचान करने में सहायता मिलेगी। जबकि कार्ड में ब्रेल लिपि की विशेषताएं हैं, पीएनबी एटीएम मानक कीपैड से लैस हैं, जिनमें संख्यात्मक कुंजियों पर उभरे हुए निशान हैं और इसके उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए "एंटर," "कैंसल," और "क्लियर" जैसी संचालन कुंजियाँ हैं।

4. **क्या इकाई के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, बैंक के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है। समान अवसर का अर्थ है कि सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर न्यायोचित, निष्पक्ष और सभी कैरियर में आगे बढ़ने के लिए समान पहुंच का अनुभव हो।यह एक समावेशी कार्य के वातावरण को बढ़ावा देता है जो अपने कर्मचारियों की विविध, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्व देता है और स्वीकार करता है। पंजाब नैशनल बैंक एक समावेशी कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है और जहां हर कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। वर्तमान नीति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुरूप है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्य वातावरण समावेशी हो और विकलांग लोगों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो।

समान अवसर नीति पंजाब नैशनल बैंक की भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों पर लागू होगी और इसमें बैंक में कार्यरत सभी दिव्यांग व्यक्तियों तथा अपनी सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। यह नीति रोजगार के सभी पहलुओं पर लागू होती है जो भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य की स्थिति, वेतन और भत्ते, कर्मचारी कल्याण, सुविधाएं और भत्ते, स्थानांतरण और तैनाती से लेकर अलगाव आदि तक होती है। इस पॉलिसी को हमारी आधिकारिक वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ूचदइपदकपं.पदध् पर ग्राहक सेवा अनुभाग के अंतर्गत देखा जा सकता है।

2. **Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.**

Benefits	FY 2024-25			FY 2023-24		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	0.16%	NA	Y *	0.2%	NA	Y *
Gratuity	100%	NA	NA	100%	NA	NA
ESI	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Others – Pension	19.34%	NA	Y *	21.93%	NA	Y *
Others – NPS	80.50%	NA	Y	77.88%	NA	Y

** Deducted and deposited in Bank`s own PF and Pension Trust*

3. **Accessibility of workplaces**

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

- The Bank is continuously making efforts that all its offices/branches are accessible without any inconvenience to Divyangjans (both employees and customers), by ensuring ramp facility and disabled friendly amenities. This is taken care of while construction of the bank's own buildings & during hiring of premises on lease basis.
- The guidelines for providing barrier free environment for "Divyangjans" are incorporated in the Policy for Hiring Lease Premises by Bank. The compliance is also reported to DFS, GOI in this regard on a regular basis.
- Further, the Bank also provides doorstep delivery of financial services to Divyangjans through doorstep banking.
- As on 31.03.2025, Bank's 11,141 ATMs out of total 11,822 ATMs (i.e. 94.24 % ATMs) and Bank's 8,525 branches out of total 10,189 branches (i.e. 83.67% Branches) have ramp facilities. For, the remaining branches (16.33%) and ATMs (5.76%) it is impractical to provide ramp facility, where notice has been displayed in compliance of RBI guidelines. However, in cases where the permanent ramp is not available in leased premises, temporary ramp facilities are provided.
- Also, Bank offers a Braille Debit Card called the PNB ANTAH DRISHTI for visually impaired customers. This card has Braille dots embossed on it to help customers identify the bank and their card. While the card itself has Braille features, PNB ATMs are equipped with standard keypads with raised markings on the numerical keys and operational keys like ''enter,'' "cancel," and "clear," to guide its users.

4. **Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.**

Yes the Bank has an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Equal opportunity means that all employees experience fairness, impartiality and equal access to all career initiatives at workplace. It promotes an inclusive work environment that values and accepts the diverse, cultural and social background of its staff. Punjab National Bank is committed to create an inclusive workplace which provides equal opportunities in employment and where every employee is treated with respect and dignity. The present policy is in compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. The objective of the Policy is to ensure that the work environment is inclusive and free from any form of discrimination against people with disabilities.

The Equal Opportunity Policy is applicable to all Branches/ Offices of Punjab National Bank located in India and it covers all persons with disability in the Bank and who acquire disability during their service period / work tenure. The policy applies to all facets of employment that commences from recruitment, training, working conditions, salary and allowances, staff welfare, facilities and perquisites, transfer and deployment and up to Separation etc. The policy can be referred at our official website **https://www.pnbindia.in/**, under Customer Care section.

5. **स्थायी कर्मचारियों और पितृत्व अवकाश लेने वाले कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।**

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगारों	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर*	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	99.88%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	99.62%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	99.80%	लागू नहीं	लागू नहीं

**उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जिनका मातृत्व/पितृत्व अवकाश वित्त वर्ष 2023–24 में समाप्त हो गया और वित्त वर्ष 2024–25 में उन्होंने (इस्तीफा) बैंक छोड़ (किसी भी कारण से) दिया।*

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।**

विवरण	हां/नही *(यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)*
स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, बैंक के कर्मचारियों के सामने आने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए बैंक के पास 'पीएनबी समाधान' नामक एक औपचारिक मंच है, जिसके लिए सभी कर्मचारियों को एचआरएमएस में एक कार्यक्षमता प्रदान की गई है ताकि वे एचआरएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें। पीएनबी समाधान में सेवारत कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है या स्पष्ट तौर पर अन्याय या उत्पीड़न का मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. **सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएश या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:**

वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	102746	100360	97.68%	102349	100595	98.29%
पुरुष	77204	75306	97.54%	77359	76049	98.31%
महिला	25542	25054	98.09%	24990	24546	98.22%
कुल स्थायी कामगार	लागू नहीं					
पुरुष						
महिला						

5. **Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.**

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate*	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	99.88%	NA	NA
Female	100%	99.62%	NA	NA
Total	100%	99.80%	NA	NA

**Considering those employees whose maternity/Paternity leave ended in FY 2023-24 and Left (Resignation) the Bank (Because of any reason) in FY 2024-25*

6. **Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.**

Particulars	Yes/No *(If Yes, then give details of the mechanism in brief)*
Permanent Workers	N.A.
Other than Permanent Workers	N.A.
Permanent Employees	Yes, Bank has a formal platform "PNB Samadhaan" for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, for which a functionality has been provided in HRMS for all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization.
Other than Permanent Employees	N.A.

7. **Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:**

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	%(B/A)	Total employees / workers in respective category (C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	%(D/C)
Total Permanent Employees	102746	100360	97.68%	102349	100595	98.29%
Male	77204	75306	97.54%	77359	76049	98.31%
Female	25542	25054	98.09%	24990	24546	98.22%
Total Permanent Workers	Not Applicable					
Male						
Female						

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25						वित्त वर्ष 2023-24			
	कुल ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)		सं. (इ)	% (इ / डी)	सं. (एफ)	% (एफ / डी)
	कर्मचारी									
पुरुष	77204	28658	37.11	48139	62.35	77359	2043	2.65	56998	73.68
महिला	25542	7015	27.46	12995	50.87	24990	799	3.20	17581	70.35
कुल	102746	35673	34.72	61134	59.50	102349	2842	2.77	74579	72.87
*पॉश पर प्रिशिक्षण	-	-	-	-	-	-	219*		-	-
कुल	102349	3061	3.00	-	-	-	-	-	-	-
	कामगार									
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

*यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक इन–हाउस ओपन वेबिनार (पंजीकरण आवश्यक नहीं था) आयोजित किया गया जिसमें 219 कर्मचारियों ने भाग लिया।

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25*			वित्त वर्ष 2023-24*		
	कुल (ए)	सं.(बी)	%(बी/ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	% (डी/सी)
	कर्मचारी					
पुरुष	79054	38166	48.28%	78857	38234	48.49%
महिला	25066	12488	49.82%	24287	12263	50.49%
कुल	104120	50654	48.65%	103144	50497	48.96%
	कामगार					
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

*वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा केवल अधिकारियों के लिए वार्षिक आधार पर की जाती है। जब भी आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है क्योंकि वित वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन वित्त वर्ष 2024–25 में किया जा रहा है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन वित्त वर्ष 2023–24 में किया गया था।

दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारी संख्या

नोटः– कॉलम 'बी' और 'डी' में वे कर्मचारी शामिल हैं जो प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा के लिए पात्र हैं।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्षेत्र क्या है?

हां, मानक मानदंडों के अनुसार, बैंक ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए भौतिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा नीतियों को लागू किया है।

बैंक की सभी शाखा परिसरों को आईबीए द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मापदंडों (स्थान, परिचालन और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संरचना और लेआउट) के अनुसार विभिन्न जोखिम श्रेणियों (कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है।

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2024-25						FY 2023-24			
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
	Employees									
Male	77204	28658	37.11	48139	62.35	77359	2043	2.65	56998	73.68
Female	25542	7015	27.46	12995	50.87	24990	799	3.20	17581	70.35
Total	102746	35673	34.72	61134	59.50	102349	2842	2.77	74579	72.87
*Training on POSH	-	-	-	-	-	-	219*		-	-
Total	102746	35673	34.72	61134	59.50	102349	3061	3.00	74579	72.87
	Workers									
Male	NA									
Female										
Total										

*An in-house open webinar (registration was not required) was conducted on Prevention of Sexual Harassment which was attended by 219 employees.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 2024-25*			FY 2023-24*		
	Total (A)#	No.(B)	% (B/A)	Total (C)	No. (D)	% (D/C)
	Employees					
Male	77359	37145	48.02%	79054	38166	48.28%
Female	24990	12523	50.11%	25066	12488	49.82%
Total	102349	49668	48.53%	104120	50654	48.65%
	Workers					
Male	Not Applicable					
Female						
Total						

*Annual performance appraisal reviews are done on yearly basis for officers only. Figures have been regrouped whenever considered necessary as annual performance appraisal for FY 2023-24 is being done in FY 2024-25. Similarly, annual performance appraisal for FY 2022-23 was done in FY 2023-24.

employee strength as on 31.03.2024

Note:- Columns 'B' & 'D' comprises of employees which are eligible for performance and career development review.

10. Health and safety management system:

a. Whether occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, as per standard norms, the Bank has implemented Physical Security & Fire Safety policies for occupational health and safety management system.

All the Bank's branch premises are classified in various risk categories (Low Risk, Medium Risk and High Risk) according to various parameters (Location, Operational & Economic, Psychological and Structure & Layout) prescribed in Risk Assessment Format by the IBA and as defined in Physical Security Policy of the Bank duly approved by the Board.

बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक टीम है जो शाखाओं में नियमित सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा निरीक्षण करती है। जोखिम/खतरों की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए अच्छी तरह से परिभाषित जांच सूची और निरीक्षण/लेखा परीक्षा के प्रारूप निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा, किसी भी घटना की स्थिति में, यदि घटना के दौरान सुरक्षा अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा जांच में कोई गैप पाया जाता है तो जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय लागू किए जाते हैं।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने तथा इकाई द्वारा नियमित एवं गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन–सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है?

कर्मचारियों की सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक कार्य–संबंधी जोखिम की पहचान, आकलन और शमन हेतु एक संरचित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। बैंक के सभी शाखा परिसरों को आईबीए द्वारा जोखिम मूल्यांकन प्रारूप में निर्धारित विभिन्न मापदंडों (स्थान, परिचालन और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संरचना और लेआउट) के अनुसार विभिन्न जोखिम श्रेणियों (कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है।

- बैंक के पास सुरक्षा अधिकारियों और अग्निशमन अधिकारियों की एक टीम है जो शाखाओं में नियमित रूप से सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा निरीक्षण करती है।
- सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक/शाखा कार्यालयों में मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों को अग्नि संबंधी विभिन्न जोखिमों के बारे में जागरूक किया जा सके। सुरक्षा/अग्निशमन अधिकारी शाखाओं में अपने अनिवार्य दौरे के दौरान शाखा कर्मचारियों को विभिन्न सुरक्षा और अग्नि संबंधी जोखिमों के बारे में जानकारी देते हैं।
- शाखाओं/कार्यालयों का नियमित विद्युत ऑडिट सक्रिय कार्रवाई करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत स्थापना के कारण आग के खतरों की संभावना कम होती है, ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है और बिजली के बिलों की लागत की भी बचत होती है।

इसके अलावा, किसी भी घटना के मामले में, यदि सुरक्षा अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा घटना की जांच के दौरान कोई गैप पाया जाता है तो गैप का अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय लागू किए जाते हैं।

ग. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने तथा स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएं है? (हाँ/नहीं)

लागू नहीं

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, बैंक के पास अपने कर्मचारियों और आश्रितों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है। इसके अलावा, कर्मचारियों को समय रहते अपने और अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य की उचित देखभाल में सहाता हेतु, बैंक के सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों (35 वर्ष और उससे अधिक आयु) (उनके जीवनसाथी सहित) को वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाती है।

Regular security and fire safety inspections at the Branches are carried out by the Security/Fire Officers in the Bank. Well defined checklists and formats of inspection/ audits are prescribed for regular inspection and audits to identify risk/ hazards.

Further, in case of any incident thorough investigation is carried out, if any gaps are observed during the incident investigation by Security Officer/ Fire Officer and suitable measures are implemented to mitigate the risk.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

The Bank follows a structured and proactive approach to identify, assess and mitigate work-related hazards to ensure employees safety and regulatory compliance. All the Bank's branch premises are classified in various risk categories (Low Risk, Medium Risk and High Risk) according to various parameters (Location, Operational & Economic, Psychological and Structure & Layout) prescribed in Risk Assessment Format by the IBA.

- Bank has a team of Security Officers and Fire Officers who conduct regular security and fire safety inspections at the Branches.
- Mock drills are also being conducted in Admin/Branch Offices by the Security/ Fire Officers to make staff aware on various fire related risks. Security/Fire Officers also brief branch staff on various security and fire related risks during their mandatory visits to branches.
- The regular electrical audit of branches/offices is done to take the pro-active actions, which results in less chances of fire hazards due to electrical installation, improvement in energy efficiency, and cost savings in electricity bills.

Further, in case of any incident, if any gaps are observed during the incident investigation by Security Officer/ Fire Officer then the gaps are studied, analyzed and thereafter, suitable measures are implemented to mitigate the risk.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Not Applicable

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes, Bank has a medical insurance scheme for its employees and dependents. Further, for helping the employees to take proper care of self and their spouse's health well in time, the facility of Annual Health Check-up is provided to all full-time employees (age of 35 years and above) (including their spouse) of the Bank.

बैंक ने केंद्रीय रूप से 2 अनुभवी मनोवैज्ञानिक/वेलनेस टेलीकंसल्टेंट नियुक्त किए हैं, अर्थात मातृत्व अवकाश के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के बाद टेलीकंसल्टेशन देने के लिए एक मनोवैज्ञानिक और सभी कर्मचारियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक भी है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख–व्यक्ति काम के घंटे)	कर्मचारी	0.00	1.48^
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	0.00	4.00*
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं
गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	लागू नहीं	लागू नहीं

^प्रति वर्ष न्यूनतम 250 कार्य दिवस मानकर। काम के घंटे किसी बैंक में ग्राहक डीलिंग के औसत समय पर आधारित होते है।
** 2023–24 में 4 में से 1 कर्मचारी 38 दिन की अवकाश लिया था।*

- चूंकि बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है और निर्माण स्थलों पर कोई काम नहीं किया जाता है, इसलिए बैंक में कम करते समय मृत्यु या चोट लगने की घटनाएं बहुत कम होती है।
- इसके अलावा, बैंक को ऐसे आंकड़ें रखने की आवश्यकता नहीं है।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

- बैंक मानता है कि सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल उसकी सफलता और विकास का अभिन्न अंग है। कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी प्रमुख जोखिमों में परिसर, शाखा, प्रशासनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा और एटीएम सुरक्षा, करेंसी चेस्ट और पारगमन में नकदी की सुरक्षा, परिसर की विद्युत सुरक्षा आदि शामिल है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अग्नि सुरक्षा नीति, शारीरिक सुरक्षा नीति आदि जैसी विभिन्न नीतियां बनाई है।
- बैंक अग्नि सुरक्षा उपकरण और सीसीटीवी निगरानी स्थापित करके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करता है। बैंक की नीति दिसानिर्देशों के अनुसार अग्निशमन अधिकारियों द्वारा नियमित लेखापरीक्षा आयोजित करके इसे सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, बैंक ने स्वतंत्र लेखापरीक्षकों से नियमित अंतराल पर अपने सभी परिसरों का विद्युतीय ऑडिट कराने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश बनाए हैं।
- भौतिक सुरक्षा नीति का उद्देश्य नकदी हानि की घटनाओं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
- स्वस्थ कार्यस्थल के लिए बैंक ने बैंक के मुख्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र आदि प्रमुख भवनों में जिम सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं स्थापित की हैं। कार्यालय परिसर में बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए, बैंक के परिसर उचित वेंटिलेशन सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

Bank has engaged 2 experienced Psychologists/Wellness Teleconsultants centrally i.e. one psychologist for offering post maternity leave teleconsulting for women employees returning to work post maternity break and one psychologist for all employees.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2024-25	FY 2023-24
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	0.00	1.48^
	Workers	NA	NA
Total recordable work-related injuries	Employees	0.00	4.00*
	Workers	NA	NA
No. of fatalities	Employees	Nil	Nil
	Workers	NA	NA
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	Nil	Nil
	Workers	NA	NA

^ Assuming minimum of 250 working days per annum. Work hours have been based on average consumer dealing time in a bank
** 1 Employee out of 4 availed the leaves of 38 days in 2023-24.*

- As the Banking industry is a service industry and no work is being done on construction sites, there may be very rare incidents of fatalities or injuries that take place while working in the Bank.
- Further, the Bank is not required to maintain such data.

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

- The Bank recognizes that safe and healthy workplace is integral to its success and growth. The major workplace safety related risks include fire safety at branches, administrative buildings and ATM security, security of currency chests and cash in transit, electrical safety of premises etc. To ensure safe and healthy workplace, bank has formulated various policies like the safety policy, physical security policy etc.
- The Bank takes measures to ensure safety of workplace by installation of Fire safety equipment and CCTV surveillance. The same is ensured by conducting regular audits by fire officers as per Bank's policy guidelines. Further, Bank has mandatory guidelines for Electrical audit of all its premises on regular intervals from independent auditors.
- The Physical Security Policy aims to provide a safe and secure environment to all the Branches and Offices of the Bank by minimizing impact of cash loss incidents, unfortunate incidents and the natural disaster.
- For a healthier workplace, the Bank has setup Gym facilities and recreational facilities at major building like HO, training centres etc. of the Bank. For the improved air quality in the office premises, Bank's premises are equipped with proper ventilation facilities.

इसके अलावा, बैंक के पास शाखा परिवेश के संबंध में एक नीति है, जिसमे अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल है।

13. **कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य परिस्थितियां स्वास्थ्य और सुरक्षा	''पीएनबी समाधान'' बैंक के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण के लिए एक औपचारिक मंच है, जिसमें सेवारत स्टाफ सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य–संबंधी और व्यक्तिगत समस्याएं शामिल हैं। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है। यह भलीभाँति सुव्यवस्थित प्रक्रिया है और प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण बैंक के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तय समय सीमा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।					

14. **वर्ष के लिए मूल्यांकन:**

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100% शाखाओं का विद्युतीय लेखापरीक्षा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से 2 वर्ष की अवधि में एक बार कराया जाता है।
कार्य परिस्थितियां	सभी शाखाओं के माहौल का मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जाता है तथा मूल्यांकन से प्राप्त टिप्पणियों के समाधान के लिए बैंक के आंतरिक पोर्टल के माध्यम से उपाय किए जाते हैं।

15. **सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमोंधचिंताओं का विवरण प्रदान करें।**

अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में, बैंक नियमित रूप से जोखिमों का आकलन करता है और सुरक्षा संबंधी घटनाओं और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई लागू करता है। हालाँकि, बैंकिंग क्षेत्र आमतौर पर भौतिक खतरों के मामले में कम जोखिम वाला उद्योग है, लेकिन बैंक कर्मचारी कल्याण, कार्यस्थल सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों से संबंधित परिचालन जोखिमों की पहचान करने में सतर्क रहता है।

बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को आग जैसी घटनाओं के दौरान सुरक्षित निकासी, अग्निशामक उपकरणों के संचालन आदि के बारे में जानकारी देता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। बैंक के कार्यालय अग्नि सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है कि ऐसी कोई घटना न घटे।

Further, Bank has a policy in respect of Branch Ambience, which includes the amenities to be provided for ensuring convenience to all its employees and customers.

13. **Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

Details	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions Health & Safety	"PNB SAMADHAAN" a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank, which covers all work related and personal problems faced by serving staff members. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is a clear cut case of injustice or victimization. This is well streamlined process and all grievances received are redressed by the respective authority within TAT as per provisions of Bank's guidelines.					

14. **Assessments for the year:**

Particulars	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	The Electrical audit of 100% of branches is conducted once in period of 2 years by the independent auditors.
Working Conditions	The ambience of all the branches is assessed by the entity and measures are taken to address the observations from assessment through an internal portal of the Bank.

15. **Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.**

As part of its health & safety management system, the bank regularly assesses risks and implements corrective and preventive actions to address safety related incidents and emerging concerns. Although, the Banking sector is typically a low risk industry in terms of physical hazards, the Bank remains vigilant in identifying operational risks related to employee wellbeing, workplace safety, and emergency preparedness.

The Bank regularly communicates and provides training to its employees regarding safe evacuation, operating of fire extinguisher equipments etc. during instances such as fire. Further, the Bank's offices are equipped with fire safety instrument and regular audit is done to ensure that no such incidents happen.

नेतृत्व संकेतक

1. **नेतृत्व संकेतकक्या संस्था (ए) कर्मचारियों (हां) (बी) कामगारों (हां) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।**

   हां, बैंक मृतक कर्मचारी के परिजनों को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करता है। मृतक कर्मचारी के जीवनसाथीध्आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जाती है। कर्मचारी के सेवांत लाभों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।**

   लागू नहीं

3. **ऐसे कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताएं, जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया:**

विवरण	प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है	
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कार्मिक/कामगार	शून्य	4*	शून्य	शून्य

डकैती और लूट का विरोध करते हुए घायल हुए कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है और वे अब अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं।

4. **क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार प्रदान करने और आजीविका के समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

   हां, सेवानिवृत्ति के अंतिम महीने में सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े सभी कर्मचारियों को ट्रांजिशन सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में सेवानिवृत्ति होने वाले 1,528 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में सेवानिवृत्ति के प्रबंधन के साथ–साथ बैंक के भीतर और बैंक के बाहर मौजूद अवसरों पर भी सत्र शामिल थे।

5. **मूल्य श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

	मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	लागू नहीं
कार्य परिस्थितियाँ	

6. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमोंध्चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   लागू नहीं

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Yes/No) (B) Workers (Yes/No).**

   Yes, the Bank offers Payment of Lump sum Ex-gratia amount to the kins of the deceased employee. Compassionate Appointment is offered to the spouse/dependent of the deceased employee. Terminal benefits of the employee are settled on a priority basis.

2. **Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

   Not Applicable

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

Particulars	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/ workers that are rehabilitated or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2024-25	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2023-24
Employees/workers	Nil	4*	Nil	Nil

Employees who have got injured while resisting dacoity and robbery. They have been appropriately rewarded and have resumed their duties.

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)**

   Yes, transition assistance training is provided to all the employees on verge of retirement in the last month of their retirement. Accordingly, 1,528 employees were provided training on verge of retirement in FY 2024-25. This training included sessions on managing the retirement as well as opportunities' that exist within bank and outside bank as well.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	NA
Working Conditions	

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

   Not Applicable

सिद्धांत 4: कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हितधारकों की पहचान करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

हितधारकों की पहचान बैंक द्वारा संबंधों, अंतःक्रियाओं और कारोबार के प्रदर्शन, बैंक संचालन और कारोबार पर पड़ने वाले उनके मूल्य संवर्धन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर की गई है। एक बैंक एक परस्पर जुड़े हुए विश्व में काम करता है और इसके हितधारकों पर इसकी गतिविधियों के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है।

हमारे बैंक के प्रमुख हितधारक समूहों में मुख्य रूप से शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, भारत सरकार, नियामक और समुदाय शामिल हैं। बैंक का कार्य हितधारकों को सहायता करना और बैंक के संचालन और प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में हितधारकों को शामिल करना है। हितधारकों के समूहों के साथ नियमित चर्चा की जाती है ताकि उनकी अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें कुशल तरीके प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

पीएनबी अपने सभी हितधारकों को असाधारण बैंकिंग सेवाएं और रिटर्न प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. **अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ व्यवसाय की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	कारोबार की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/तिमाही/अन्य – कृपया उल्लेख करें)	कारोबार के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित कारोबार का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारकों	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, नोटिस, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण, वेबकास्ट/ऑडियो कॉल, निवेशक सम्मेलन, आम बैठकें	तिमाही/आवश्यकता के आधार पर	• लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के लिए अनुमोदन, • लाभांश की घोषणा, • शेयरधारकों के निदेशक का चुनाव, • इक्विटी पूंजी जुटाना। • निवेशकों/विश्लेषकों आदि के साथ बातचीत, आम बैठकों के दौरान उठाए गए प्रश्नों/चिंताओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।
कार्मिक	हां, कर्मचारियों का निम्नलिखित समूहः– विशेष योग्यता वाले कर्मचारी	आंतरिक संचार जैसे ईमेल और परिपत्र, वेबिनार, टाउनहॉल बैठकें, क्षेत्रीय प्रबंधकों के सम्मेलन, समाधान पोर्टल, वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संबोधन, समाचार पत्र और प्रकाशन	निरंतर	कर्मचारियों की अपेक्षाओं को समझना और उन्हें संबोधित करना, साथ ही कर्मचारियों को प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराना। इसके अतिरिक्त यह कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को उचित तरीके से हल करने का भी प्रयास करता है।
ग्राहक	हां, विशेष रूप से ग्राहकों के निम्नलिखित समूहः– वरिष्ठ नागरिक, विशेष योग्यता वाले नागरिक।	ईमेल, समाचार पत्र, पत्र, वेबसाइट	दैनिक/लगातार	बेहतर सेवाएँ और विपणन
सरकार	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें	आवश्यकता के आधार पर	बैंक का प्रदर्शन। दिशा–निर्देशों का अनुपालन
विनियामक	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठकें, ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी	आवश्यकता के आधार पर	बैंक का प्रदर्शन। दिशा–निर्देशों का अनुपालन

नेतृत्व संकेतक

1. **हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।**

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.**

There is no defined process to identify stakeholders.

The stakeholders have been identified by the bank on the basis of relationships, interactions and impact they have on the business performance, bank operations and their value addition to the business. A bank operates in an inter-connected world and it is significant to understand the impact of its activities on its stakeholders and vice versa.

The key stakeholder groups of our Bank majorly comprise of shareholders, customers, employees, Investors, Government of India, Regulators and Community. The Bank's role is to aid and engage with the stakeholders in areas which are relevant for operations and performance of the bank. Regular interactions are undertaken with the stakeholder groups to evaluate and address their expectations in an efficient manner.

PNB is committed to provide exceptional Banking services and returns to all its Stakeholders.

2. **List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.**

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Shareholders	No	Emails, Newspapers, Letters, Notices, Website, Stock Exchange Disclosures, Webcast/Audio Calls, Investor Conferences, General Meetings	Quarterly/Need Basis	• Approval for the Audited Financial Results, • Declaration of Dividend, • Election of Shareholders' Director, • Raising of Equity Capital. • Interactions with Investors/Analysts etc., The queries/ concern raised during the General Meetings are addressed in a time bound manner.
Employees	Yes, the following group of employee: employees with special abilities	Internal communication like emails and circulars, webinars, townhall meetings, Zonal Managers' Conferences, SAMADHAAN Portal, address by Senior Management, Newsletters & Publications	Regular Basis	To address and learn the expectations of employees while also communicating management's expectations to employees. Additionally it also seeks to resolve various issues of employees suitably.
Customers	Yes, especially the following group of customer:- Senior Citizens, people with special abilities.	Emails, Newspapers, Letters, Website	Daily/Continuous	Better services and marketing
Government	No	Emails, Letters, Meetings	Need Basis	Performance of the Bank. Compliance of guidelines
Regulator	No	Emails, Letters, Meetings, Offsite and Onsite monitoring	Need Basis	Performance of the Bank. Compliance of guidelines

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

बैंक ग्राहक प्रतिक्रिया, कर्मचारी सर्वेक्षण, विक्रेता बैठकें और सीएसआर परामर्श जैसे संरचित तंत्रों के माध्यम से समय–समय पर हितधारक सहभागिता आयोजित करता है। इन सहभागिता आयोजनों से प्राप्त तथ्यों को संबंधित फंक्शनल टीमों द्वारा संकलित किया जाता है और तिमाही ईएसजी/सीएसआर अपडेट और जोखिम रिपोर्ट के माध्यम से बोर्ड को भेजा जाता है। कर्मचारी कल्याण, जलवायु–संबंधी जोखिम और सामाजिक प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों की समीक्षा बोर्ड या संबंधित समितियों (जैसे, सीएसआर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति) द्वारा रणनीतिक कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए की जाती है।

आम बैठकों में शेयरधारकों के साथ कार्यसूची मदों जैसे लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की स्वीकृति, लाभांश की घोषणा, इक्विटी पूंजी जुटाना, शेयरधारक निदेशक का चुनाव आदि पर चर्चा भी की जाती है, जिसमें बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, हितधारक संबंध समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सहित बैंक के निदेशक भी मौजूद होते हैं और शेयरधारकों से प्राप्त फीडबैक को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

विनियामकों को महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में मान्यता देते हुए, बैंक बैठकों, सम्मेलनों और लिखित संचार जैसे संरचित चौनलों के माध्यम से संवाद स्थापित करता है। ये चर्चाएं नए शुरू किए गए विनियमों, अनुपालन आवश्यकताओं और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में व्यापक मुद्दों पर खुली बातचीत को बढ़ावा देती है। विनियामक प्राधिकरणों (जैसे, RBI,SEBI) के साथ महत्वपूर्ण बैठकों या चर्चाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है, और निगरानी और निर्देश के लिए प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं को बोर्ड के साथ साझा किया जाता है।

बैंक अपने कर्मचारियों के साथ खुला संवाद बनाए रखता है और कर्मचारी सर्वेक्षण, टाउन हॉल मीटिंग, आंतरिक संचार पोर्टल और ईमेल जैसे कई चौनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से फीडबैक को प्रोत्साहित करता है। सभी सुझावों और चिंताओं का उचित संगठनात्मक स्तरों पर दस्तावेजीकरण और चर्चा की जाती है। जहाँ संभव हो, प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई की जाती है, जिससे निरंतर सुधार और समावेशिता की संस्कृति में योगदान मिलता है।

बैंक अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को भी समझता है और विभिन्न चौनलों पर लेन–देन में आसानी के लिए ग्राहकों की पसंद को पूरा करने के लिए नए उत्पाद पेश करता है। बैंक शाखाओं के दौरे, सर्वेक्षण, क्यूआर फीडबैक सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों और अन्य मामलों के बारे में ग्राहकों से चर्चा करता है।

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।**

हां, पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है। बैंक अपने हितधारकों के लिए सबसे प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान करने और नीतियों और कार्यक्रमों के नियमित अपडेट के माध्यम से उन्हें संबोधित करने के लिए निरंतर आधार पर अपने प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ता है।

इस संरचित सहभागिता के माध्यम से, बैंक **संभावित ईएसजी जोखिमों और अवसरों का आकलन करने में भी सक्षम** रहा है, जिससे बैंक उत्तरदायी रणनीतियों को विकसित करने में सक्षम हुआ है, जो नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं और सकारात्मक परिणामों को बढ़ाते हैं।

The Bank conducts periodic stakeholder engagement through structured mechanisms like customer feedback, employee surveys, vendor meetings, and CSR consultations. Insights from these engagements are compiled by the respective functional teams and escalated to the Board through quarterly ESG/CSR updates and risk reports. Key issues such as employee well-being, climate-related risks, and social impact are reviewed by the Board or relevant committees (e.g., CSR Committee, Risk Management Committee) to guide strategic actions.

Interactions are held with the shareholders on agenda items viz. approval of the Audited Financial Results, Declaration of Dividend, Raising of Equity Capital, Election of Shareholder Director, etc., at the General Meetings wherein the Directors of the Bank including the Chairman of Audit Committee of the Board, Stakeholders Relationship Committee and the Nomination & Remuneration Committee are also present and the feedback received from the shareholders is taken on record.

Recognizing regulators as vital stakeholders, the Bank engages with them through structured channels such as meetings, conferences and written communications. These interactions foster open dialogue on newly introduced regulations, compliance requirements and broader issues spanning economic, social, and environmental domains. Significant meetings or interactions with regulatory authorities (e.g., RBI, SEBI) are documented, and key action points are shared with the Board for oversight and direction.

The Bank maintains open lines of communication with its employees and actively encourages feedback through multiple channels such as employee surveys, town hall meetings, internal communication portals, and emails. All suggestions and concerns are documented and discussed at appropriate organizational levels. Where feasible, relevant recommendations are acted upon, contributing to a culture of continuous improvement and inclusivity.

The Bank is also cognizant of the evolving needs of its customers and offers new products to cater to customers' preference for ease of transactions across channels. The Bank interacts with customers regarding grievances and other matters through branch visits, surveys, QR Feedback system and social media platforms.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

Yes, stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics. Bank engages with its key stakeholders on an ongoing basis to identify the most relevant environmental and social topics of interest to its stakeholders and address them through regular updates to policies and programs.

Through this structured engagement, the Bank has also been able to **assess potential ESG risks and opportunities,** enabling the Bank to develop responsive strategies that mitigate negative impacts and enhance positive outcomes.

हितधारकों के इनपुट के आधार पर, बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं के समर्थन के लिए **हरित वित्तपोषण समाधान** प्रस्तुत किए।

वंचित समुदायों से प्राप्त फीडबैक के परिणामस्वरूप **वित्तीय समावेशन पहल** को बढ़ावा मिला, जिसमें सरलीकृत डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं।

कर्मचारियों के फीडबैक से बैंक की **समान अवसर नीति** को मजबूत बनाने तथा अधिक समावेशी और विस्तृत कार्यस्थल को बढ़ावा देने में मदद मिली।

3. **कमजोर/वंचित हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ संबद्धता के उदाहरणों का विवरण दें।**

बैंक समाज के वंचित, बैंकिंग सेवाओं से रहित और आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों की मदद करता है जिससे वे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। इन वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू की है।

बैंक लगातार यह प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालयध्शाखाएँ दिव्यांगजनों (कर्मचारी और ग्राहक दोनों) के लिए बिना किसी असुविधा के सुलभ हों, इसके लिए बैंक रैंप सुविधा और दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाएँ सुनिश्चित करता है। साथ ही, बैंक दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए पीएनबी अन्तः दृष्टि नामक ब्रेल डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है। इस कार्ड पर ब्रेल लिपि में डॉट्स उभरे हुए हैं, जिससे ग्राहक बैंक और अपने कार्ड की पहचान कर सकते हैं। जबकि कार्ड में ब्रेल लिपि की विशेषताएँ हैं, पीएनबी एटीएम अपने उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए संख्यात्मक कुंजियों और परिचालन कुंजियों जैसे कि 'एंटर', 'कैंसल' और 'क्लियर' पर उभरे हुए चिह्नों सहित मानक कीपैड के साथ हैं।

बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए अपनी अपरिहार्य भूमिका को समझता है। बैंक भारत भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, खासकर दूरदराज के इलाकों और बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में। बैंक अपनी शाखाओं और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के मजबूत नेटवर्क का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहलों का समर्थन करता रहा है।

बैंक ने 12 किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं जो किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे जैविक खेती, उर्वरक प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग आदि पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान इसके तहत 1002.38 लाख रुपये व्यय किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तत्वावधान में 78 RSETI और भारत में 2 ग्रामीण विकास केंद्र (PNB पहल) संचालित हैं जो ग्रामीण आबादी और उनके परिवारों को स्वरोजगार उपक्रम/नौकरी शुरू करने हेतु कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इन केंद्रों में 79,989 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 65,636 गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के हैं और 63,535 महिलाएं थीं। हमारे RSETI समावेशी विकास के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करके प्रतिभागियों के निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बैंक के पास 175 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जो वित्तीय शिक्षा, निवारक परामर्श और ग्राहक अधिकारों पर कई सेमिनार/कार्यक्रम/शिविर आयोजित करते हैं। एफएलसी द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह किसान, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक आदि हैं।

Based on stakeholder input, the Bank introduced **green financing solutions** to support projects in renewable energy and sustainable infrastructure.

Feedback from underserved communities led to **enhanced financial inclusion** initiatives, including simplified digital banking services and financial literacy programs.

Employee feedback helped strengthen the Bank's **Equal Opportunity Policy** and promote a more inclusive and diverse workplace.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

Bank helps the marginalized, unbanked and financially excluded sections of the society to enable them to contribute their share to the economy. Access to financial services is of utmost importance to strengthen these marginalized sections and make a significant contribution to their social and economic development.

Bank extends Doorstep Banking facility for senior citizens and differently abled customers.

The Bank is continuously making efforts that all its offices/ branches are accessible without any inconvenience to Divyangjans (both employees and customers), by ensuring ramp facility and disabled friendly amenities. Also, Bank offers a Braille Debit Card called the PNB ANTAH DRISHTI for visually impaired customers. This card has Braille dots embossed on it to help customers identify the bank and their card. While the card itself has Braille features, PNB ATMs are equipped with standard keypads with raised markings on the numerical keys and operational keys like ''enter,'' "cancel," and "clear," to guide its users.

The Bank has established 12 Farmers Training Centres which provide training on agriculture & allied activities which include organic farming, fertilizer management, bee keeping, dairy farming, etc. to the farmers. The Bank spent Rs. 1002.38 Lakh under this during FY 2024-25. There are 78 RSETIs under aegis of Ministry of Rural Development (MoRD) and 2 Rural Development Centres (PNB initiatives) operating in India which are engaged in providing training to rural population and their families for skill upgradation to undertake self-employment ventures/jobs. During the FY 2024-25, 79,989 persons were trained in these centers out of which 65,636 belong to Below Poverty Line (BPL) families and 63,535 were women. Our RSETIs are focusing for settlement of participants by ensuring adequate credit for inclusive growth.

The Bank has 175 Financial Literacy Centers (FLCs) conducting number of seminars/programmes/camps on Financial Education, Preventive Counselling and Customer Rights. The Target groups of the programmes conducted by FLCs are Farmers, Self Help Groups, Micro and Small Entrepreneurs, Senior Citizens etc.

सिद्धांत 5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कार्मिक और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	कवर किए गए कार्मिकों / कामगारों की संख्या (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	कवर नही किए गए कार्मिकों / कामगारों की संख्या (डी)	% (डी / सी)
कार्मिक						
स्थायी	102746	35673	34.72	102349	3061	3.00
स्थायी के अलावा अन्य	0	0	0	0	0	0.00
कुल कार्मिक	102746	35673	34.72	102349	3061	3.00
कामगार						
स्थायी	शून्य					
स्थायी के अलावा अन्य						
कुल कामगार						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है:

वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25					वित्त वर्ष 2023-24				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)		सं. (बी)	% (बी / ए)	सं. (सी)	% (सी / ए)
कार्मिक										
स्थायी	सभी कर्मचारियों को द्विपक्षीय समझौते / संयुक्त नोट के अनुसार भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक है।									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अतिरक्त										
पुरुष										
महिला										
कामगार										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अतिरक्त										
पुरुष										
महिला										

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:**

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total (A)	No. of employees / workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. Employees/ workers covered (D)	% (D/C)
Employees						
Permanent	102746	35673	34.72	102349	3061	3.00
Other than permanent	0	0	0	0	0	0.00
Total Employees	102746	35673	34.72	102349	3061	3.00
Workers						
Permanent	Not Applicable					
Other than permanent						
Total Workers						

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:**

Category	FY 2024-25					FY 2024-25				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than minimum wage	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Permanent	All Employees are paid in line with Bipartite Settlement/Joint Note which is more than minimum wages.									
Male										
Female										
Other than permanent										
Male										
Female										
Workers										
Permanent	Not Applicable									
Male										
Female										
Other than permanent										
Male										
Female										

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

क. औसत पारिश्रमिक /मजदूरी

	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक /मजदूरी वेतन^	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक /मजदूरी वेतन^
निदेशक मण्डल (बीओडी)*	5	₹ 22,60,000.00	1	₹ 14,25,000.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक#	6	₹ 37,18,350.00	1	₹ 23,75,553.47
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कार्मिक	77,203	₹ 8,28,737.62	25541	₹ 7,72,052.41
कामगार	लागू नही			

#केएमपी – क) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी; ख) कार्यकारी निदेशक; ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा घ) कंपनी सचिव
^मार्च 2025 तक बेसिक और डीए के आधार पर प्रति माह औसत वेतन
**वर्ष 2024–25 के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशकों को 31.03.2025 तक भुगतान की गई सिटिंग फीस के आधार पर*

ख. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा महिलाओं को दिए गए कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में सकल वेतन:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	22.63%	22.28%

4. क्या आपके पास कारोबार द्वारा मानवाधिकारों को प्रभावित करने या इसके कारण उत्पन्न या इससे जनित मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई केन्द्रित बिन्दु (व्यक्तिगत/समिति) (हां/नहीं)

हां, प्रधान कार्यालय–मानव संसाधन विकास (आरक्षण प्रकोष्ठ) में ऐसी शिकायतों का निपटारा किया जाता है।

5. मानवाधिकार मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

बैंक के पास कार्मिकों के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल 'समाधान' है, जहाँ मानवाधिकार संबंधी शिकायतों सहित सभी शिकायतें की जा सकती हैं। बैंक के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण, 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में एक बेहतर स्थापित नीति है। इसके अलावा, बैंक के पास व्हिसल ब्लोअर नीति है, जो बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या शक्ति के इरादातन या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग के किसी भी आरोप से संबंधित संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करती है। बैंक बाल या जबरन श्रम के सभी रूपों पर भी प्रतिबंध लगाता है।

बैंक ने कार्यस्थल पर किसी भी तरह के भेदभाव से बचने के लिए समान अवसर नीति भी स्थापित की है। यह भारत में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं/कार्यालयों पर लागू होगी और बैंक में सभी विकलांग व्यक्तियों को शामिल करेगी और जो अपनी

3. Details of remuneration / salary / wages, in the following format:

a. Median remuneration/wages

	Male		Female	
	No.	Median remuneration/ salary/ wages of respective category^	No.	Median remuneration/ salary/ wages of respective category^
Board of Directors (BoD)*	5	Rs.22,60,000.00	1	Rs.14,25,000.00
Key Managerial Personnel#	6	Rs.37,18,350.00	1	Rs.23,75,553.47
Employees other than BoD and KMP	77,203	Rs.8,28,737.62	25541	Rs.7,72,052.41
Workers	NA			

 # KMP – a) the Managing Director & Chief Executive Officer; b) Executive Directors(s); c) Chief Financial Officer; and d) Company Secretary
^Annual median salary based on Basic and DA for FY 2024-25
** based on the Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2024-25*

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

	FY 2024-25	FY 2023-24
Gross Wages paid to females as % of total wages	22.63%	22.28%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes, Cell at HO-HRD (Reservation Cell) deals with such complaints.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Bank has an online grievance redressal portal "Samadhaan" for employees where all complaints including Human rights related complaints may be made. The Bank has a well-established policy - The Policy for Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Work Place regarding implementation of the provisions of "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." Also, the bank has Whistle Blower Policy to establish a mechanism to receive protected disclosure relating to any allegation of corruption or wilful misuse of power or wilful misuse of discretion against any employee of the bank. The bank also prohibits all forms of child or forced labour.

Bank has also established an Equal Opportunity Policy to avoid any kind of workplace discrimination. It shall be applicable to all Branches/ Offices of Punjab National Bank located in India and covers all persons with disability in the Bank and who acquire disability during their service period / work tenure.

सेवा अवधि/कार्य अवधि के दौरान विकलांग हुए हैं। यह नीति रोजगार के सभी पहलुओं पर लागू होती है जो भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य स्थितियों, वेतन और भत्ते, कर्मचारी कल्याण, सुविधाओं और सुविधाओं, स्थानांतरण और पदस्थापन से लेकर सेवामुक्ति आदि तक होती है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष की समाप्ति पर लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	24	6	POSH अधिनियम 2013 के अनुसार आईसीसी जांच समय सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन है	29	7	समाधान के बाद से
कार्यस्थल पर भेदभाव (विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्राप्त)	32 (2024 – कैलेंडर वर्ष*)	0	लागू नही	50 (2023 – कैलेंडर वर्ष*)	0	लागू नहीं
बाल श्रम	शून्य					
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य					
वेतन	शून्य					
अन्य मानव अधिकार संबंधित मामले	शून्य					

** CY= कैलेंडर वर्ष*

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	24	29
POSH पर महिला कर्मचारियों/कामगारों की शिकायतों का प्रतिशत	0.09%	0.12%
POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	9	10

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों से बचाव के लिए तंत्र

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कार्मिकों के हितों की रक्षा करने तथा भेदभाव और उत्पीड़न के कारण शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- बैंक के कार्मिकों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु एक औपचारिक मंच "पीएनबी समाधान" उपलब्ध है तथा सभी कार्मिकों को एचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एचआरएमएस में एक सुविधा प्रदान की गई है। पीएनबी समाधान में सेवारत कार्मिकों द्वारा सामना की जाने वाली सभी कार्य

The policy applies to all facets of employment that commences from recruitment, training, working conditions, salary and allowances, staff welfare, facilities and perquisites, transfer and deployment and up to Separation etc.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	24	6	ICC Enquiry in under process within time line as per POSH Act 2013	29	7	Since Resolved
Discrimination at workplace (Received through various Commissions)	32 (2024 –CY*)	0	NA	50 (2023 –CY*)	0	NA
Child Labour	Nil					
Forced Labour/ Involuntary Labour	Nil					
Wages	Nil					
Other human Rights related issues	Nil					

**CY= Calendar Year*

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	24	29
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.09%	0.12%
Complaints on POSH upheld	9	10

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Bank has undertaken following steps to safeguard interest of SC/ST/OBC/PwBD/Ex-SERVICEMEN/EWS employees and prevent adverse consequence to the complainant in discrimination and harassment:

- "PNB SAMADHAAN", a formal platform for redressal of various grievances/ problems faced by the employees of the Bank is available and a functionality has been provided in HRMS or all the employees to enable them to lodge their grievances/ complaints online through HRMS. PNB SAMADHAAN covers all work related and personal problems faced by serving staff members which have a

संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं को शामिल किया गया है, जिनका उनके काम पर असर पड़ता है। यदि कर्मचारियों को लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या अन्याय या उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है, तो अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है। इसमे कड़ी गोपनीयता बरती जाती है।

- प्रधान कार्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महाप्रबंधक के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, मंडल कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रत्येक मंडल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में आरक्षण सेल की स्थापना की गई है।
- मंडल कार्यालय/अंचल कार्यालय/प्रधान कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर गौर करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ित महिला या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाए। सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाती है, और शिकायतों का विवरण केवल आंतरिक समिति (आईसी) के पास उपलब्ध होता है, जो शिकायतों के निवारण के लिए उचित कदम उठाती है।
- इसके अतिरिक्त, बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं, जो गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं और किसी भी गलत आचरण के खुलासे के बदले में कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं। जाँच अधिकारी को व्हिसल-ब्लोअर की पहचान नहीं बताई जाती है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक/कारोबारी समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)

हां, बैंक मानवाधिकारों को कायम रखने की प्रथाओं का पालन कर रहा है और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपने सभी अनुबंधों में सख्ती से अनुपालन के लिए, न्यूनतम मजदूरी, कामगारों का बीमा, कामगारों की सुरक्षा आदि के अनुपालन को अनुबंध का हिस्सा बनाया गया है।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकनः

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिसका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा या तृतीय पक्ष)
बाल श्रम	लागू नहीं
जबरन/अनैच्छिक श्रम	लागू नहीं
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	लागू नहीं
अन्य, कृपया उल्लेख करें	लागू नहीं

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

bearing on their work. Other matters may be considered if the employees feel there is violation of rules or that there is clear cut case of injustice or victimization. Strict confidentiality is maintained.

- The Chief Liaison Officer for SC/ST and OBC has been appointed in the rank of General Manager to safeguard the interest of employees belonging to SC/ST, OBC, Ex-Servicemen, EWS and PwBD at Head Office level. Further, Liaison Officer have also been appointed at Circle Office as well as Zonal Office level.
- A reservation cell has been set up at every Circle Office/ Zonal Office/ Head Office to look into the grievances of SC/ ST and OBC employees.
- Internal Complaint Committee has been set up to look into the sexual harassment complaints at Circle Offices/ Zonal Offices and Head Office. Bank also ensures that the aggrieved woman or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with the complaints of sexual harassment. Strict confidentiality is maintained, and the details of the complaints are only available to the Internal Committee (IC), which takes appropriate steps for redressal of the complaints.
- Further, the Bank's Whistle Blower Policy has in place distinct clauses for protection of the whistle blower, which ensures confidentiality and no adverse penal action against employees in retaliation to their disclosure of any wrongful conduct. Identity of the whistle-blower is not disclosed to the investigating official.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, Bank is following the practices for upholding of human rights and in all its contracts for procurement of works & services, the compliance of minimum wages, workmen insurance, workmen safety etc. are made part of the contract for strict compliance.

10. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Not Applicable
Forced/involuntary labour	Not Applicable
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Not Applicable
Others – please specify	Not Applicable

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकारों की शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

   नहीं। ऐसी कोई मानवाधिकार शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया की समीक्षा, संशोधन या कार्यान्वयन किया गया हो। हालाँकि, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी लेन–देन में उसकी व्यावसायिक प्रक्रियाएँ मौलिक मानवाधिकारों का सख्ती से पालन करें, जैसा कि मानवाधिकार वक्तव्य में कहा गया है। यह प्रतिबद्धता इसके संचालन के हर पहलू में दिखाई देती है, जो नैतिक और जिम्मेदार आचरण के प्रति बैंक के समर्पण को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कार्मिकों को नैतिक व्यवहार, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और अपने सभी व्यावसायिक लेन–देन में ईमानदारी बनाए रखने के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2. **किसी भी मानवाधिकार संबंधी जाँच के दायरे और कवरेज का विवरण।**

   बैंक ने सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कोई भेदभाव न करने की नीति लागू की है। बैंक सभी गतिविधियाँ और निर्णय समुचित सावधानी के साथ करना सुनिश्चित करता है।

3. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसरध्कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

   बैंक निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसके सभी कार्यालय/शाखाएँ दिव्यांग आगंतुकों के लिए बिना किसी असुविधा के सुलभ हों। 31.03.2025 तक, बैंक के कुल 11,822 एटीएम में से 11,141 एटीएम (अर्थात् 94.24% एटीएम) और बैंक की कुल 10,189 शाखाओं में से 8,525 शाखाओं (अर्थात् 83.67% शाखाएँ) में रैंप की सुविधा है। शेष शाखाओं (16.33%) और एटीएम (5.76%) जहाँ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किए गए हैं। के लिए रैंप की सुविधा प्रदान करना अव्यावहारिक है।

   बैंक विशेष आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के बैंकर गाइड का संदर्भ लेता है। बैंक बिना किसी भेदभाव के दृष्टिबाधित सहित दिव्यांग ग्राहकों को अपनी सभी बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

4. **श्रृंखला साझेदारों के मूल्यांकन विवरणः**

विवरण	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	लागू नहीं
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम	
वेतन	
अन्य, कृपया उल्लेख करें	

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

   लागू नहीं

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.**

   No. There have been no human rights complaints that have led to the review, modification, or implementation of any business processes. However, the Bank ensures that its business processes strictly adhere to fundamental human rights in all its transactions, as articulated in Human Rights Statement. This commitment is reflected in every aspect of its operations, underscoring the Bank's dedication to ethical and responsible conduct. Additionally, the bank conducts various awareness and training programmes designed to sensitize its employees regarding ethical behaviour, respect for human rights and the importance of maintaining integrity in all its business dealings.

2. **Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.**

   The Bank has put in place no discrimination policy underscoring its commitment to fair and equitable treatment for all stakeholders. It ensures that all activities and decisions are conducted with due diligence.

3. **Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

   The Bank is continuously making efforts that all its offices/ branches are accessible without any inconvenience to differently abled visitors. As on 31.03.2025, Bank's 11,141 ATMs (i.e. 94.24 % ATMs) out of total 11,822 ATMs and Bank's 8,525 branches (i.e. 83.67% Branches) out of total 10,189 branches have ramp facilities. For, the remaining branches (16.33%) and ATMs (5.76%) it is impractical to provide ramp facility, where notice has been displayed in compliance with RBI guidelines.

   The Bank refers the Reserve Banks of India and IBA's Banker's guide for customers with special needs. Bank is committed to offer all its banking services and products to customers with disabilities including visually impaired without discrimination.

4. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	NA
Discrimination at workplace	
Child Labour	
Forced Labour/Involuntary Labour	
Wages	
Others – please specify	

5. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

   Not Applicable

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का ध्यान रखने वाले तथा इसका संरक्षण करने और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा उपभोग (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

मापदंड	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल विद्युत उपभोग (ए)	1,036 गीगा जूल@	1,065 गीगा जूल@
कुल ईंधन उपभोग (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	1,036 गीगा जूल	1,065 गीगा जूल
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली उपभोग (डी)	8,62,117 गीगा जूल#	9,90,950 गीगा जूल#
कुल ईंधन उपभोग (ई)	2,68,065 गीगा जूल#	2,32,086 गीगा जूल#
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उपभोग (एफ)	लागू नही	लागू नही
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	11,30,182 गीगा जूल	12,23,036 गीगा जूल
कुल ऊर्जा उपभोग (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	11,31,218 गीगा जूल	12,24,101 गीगा जूल
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा उपभोग / परिचालन से राजस्व)	0.08	0.10
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	1.66	2.06
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	11.01	11.96
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? – हाँ, उम्मेद जैन एंड कंपनी

** विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित पीपीपी रूपांतरण दर 20.2 रुपये/यूएसडी है।*

@ वर्तमान में, नवीकरणीय ऊर्जा खपत डेटा केवल दो बड़ी इमारतों यानी द्वारका और गुरुग्राम इमारत से संबंधित है

 # दिया गया गैर–नवीकरणीय ऊर्जा डेटा पैन इंडिया के आधार पर बैंक की संपूर्ण शाखाओं/कार्यालयों से संबंधित है।

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	1,036 Giga Joule@	1,065 Giga Joule@
Total fuel consumption (B)	NIL	NIL
Energy consumption through other sources (C)	NIL	NIL
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	1,036 Giga Joule	1,065 Giga Joule
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	8,62,117 Giga Joule#	9,90,950 Giga Joule#
Total fuel consumption (E)	2,68,065 Giga Joule#	2,32,086 Giga Joule#
Energy consumption through other sources (F)	NA	NA
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	11,30,182 Giga Joule	12,23,036 Giga Joule
Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	11,31,218 Giga Joule	12,24,101 Giga Joule
Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations in INR Lacs)	0.08	0.10
Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP*) (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP) (INR Lacs)	1.66	2.06
Energy intensity in terms of physical output (Total energy consumed / Full Time Employees)	11.01	11.96
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? – Yes, Ummed Jain & Co.

** PPP conversion rate used is 20.2Rs/ USD as published by the World Bank for India, for the year 2023*

@ At Present, Renewable energy consumption data pertains exclusively for two large buildings i.e. Dwarka and Gurugram building

 # Non-renewable energy data given is pertaining to the bank's entire branches/ offices on PAN India basis.

2. **क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी दें, यदि कोई हो तो।**

हमारे बैंक की पहचान डीसी के रूप में नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) भू–पृष्ठ जल	2,39,403	3,68,461
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	9,94,275	11,28,752
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
जल निकासी का कुल आयतन (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	12,33,678	14,97,213
जल उपभोग का कुल आयतन (किलोलीटर में)	12,33,678	14,97,213
जल की गहनता प्रति रुपए टर्नओवर (कुल जल उपभोग/परिचालन से राजस्व)	0.09	0.12
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल की गहनता (कुल जल उपभोग/परिचालन से राजस्व, पीपीपी के लिए समायोजित)	1.80	2.51
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल की गहनता	12.01	14.63
जल की गहनता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक का इकाई द्वारा चयन किया जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – हाँ

**विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित पीपीपी रूपांतरण दर 20.2 रु./यूएसडी है।*

4. **निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
गंतव्य और जल–शोधन के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) भू–पृष्ठ जल	बैंक औद्योगिक अपशिष्ट जल जनरेट नहीं करता है। हालाँकि, उत्पादित सीवेज के लिए, बैंक ने हमारे कुछ बड़े कार्यालय परिसरों में सीवेज जल–शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करके सक्रिय कदम उठाए हैं। बैंक के अधिकांश कार्यालय देश भर में फैली शाखाएँ हैं, जहाँ सीवेज को	
– कोई जल–शोधन नहीं		
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल		
कोई जल–शोधन नहीं		
–जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		

2. **Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

Our Bank is not identified as DC, hence the same is not applicable.

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	2,39,403	3,68,461
(ii) Groundwater	NA	NA
(iii) Third party water	9,94,275	11,28,752
(iv) Seawater / desalinated water	NA	NA
(v) Others	NA	NA
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	12,33,678	14,97,213
Total volume of water consumption (in kilolitres)	12,33,678	14,97,213
Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption / Revenue from operations in INR Lacs)	0.09	0.12
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP*) (INR Lacs)	1.80	2.51
Water intensity in terms of physical output (Total water consumption / Full Time Employee)	12.01	14.63
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	NA	NA

Note: Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – Yes, Ummed Jain & Co.

**PPP conversion rate used is 20.2 Rs/ USD as published by the World Bank for India, for the year 2023*

4. **Provide the following details related to water discharged:**

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	The Bank does not generate industrial wastewater. However, for the sewage that is produced, Bank has taken proactive steps by installing sewage treatment plants (STP) at some of our larger office premises. The majority of offices of Bank are branches spread nationwide, wherein the sewage is discharged as per	
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) To Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		

(iii) समुद्री जल	स्थानीय दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्सरित किया जाता है, यानी नगरपालिका या अन्य निकायों को निस्सरित किया जाता है, जहाँ उनके द्वारा उपयुक्त जल–शोधन किया जाता है। इसलिए, इसे बैंक की रिपोर्टिंग में शामिल नहीं किया गया है।
– कोई जल–शोधन नहीं	
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	
(iv) थर्ड पार्टी वाटर	
– कोई जल–शोधन नहीं	
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	
(v) अन्य	
– कोई जल–शोधन नहीं	
– जल–शोधन के साथ – कृपया जल–शोधन का स्तर निर्दिष्ट करे	
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	

नोटः प्रकट करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं

5. **क्या इकाई ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

बैंक के प्रधान कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख इमारतों जैसे कि पीएनबी प्रगति टावर्स बीकेसी, मुंबई और गुरुग्राम में पीएनबी बिल्डिंग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। इस प्रकार, इन इमारतों में बागवानी और शौचालय फ्लश के लिए एसटीपी से शोधित पानी का पुनरू उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा, बैंक की 7 इमारतों जैसे कि प्रधान कार्यालय, द्वारका, दिल्ली, बीकेसी मुंबई, प्रशिक्षण केन्द्रों एसटीसी दिल्ली, एसटीसी लखनऊ 1, एसटीसी लखनऊ 2, एसटीसी फरीदाबाद और एसटीसी लुधियाना में वर्षा जल संचयन प्रणाली भी लागू की गई है।

6. **कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें।**

हमारे बैंक के कारोबार की प्रकृति में ऐसी गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित वायु प्रदूषक उत्पन्न करती हैं, अतः वायु प्रदूषण में योगदान नहीं देती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालयों ने इनडोर वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में अपने परिसर में इनडोर पौधे लगाए हैं।

पैरामीटर	*कृपया इकाई निर्दिष्ट करें*	*वित्त वर्ष 2024-25*	*वित्त वर्ष 2023-24*
एनओएक्स	लागू नहीं		
एसोएक्स			
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
संकटजनक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें			

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – लागू नहीं

(iii) To Seawater	local guidelines i.e. discharge is made to municipality or other bodies as applicable, wherein suitable treatment is done by them. Hence, it not included in Bank's reporting.
- No treatment	
- With treatment – please specify level of treatment	
(iv) Sent to third-parties	
- No treatment	
- With treatment – please specify level of treatment	
(v) Others	
- No treatment	
- With treatment – please specify level of treatment	
Total water discharged (in kilolitres)	

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - No

5. **Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.**

The Bank's Head Office has a zero liquid discharge Sewage Treatment Plant. Further, in other major buildings like PNB Pragati Towers BKC, Mumbai and PNB Building at Gurugram, Sewage Treatment Plants have been installed. As such, the STP treated water is reused towards horticulture and toilet flush in these buildings.

Further, Rainwater harvesting systems are also implemented in 7 nos. of Bank buildings like HO Dwarka Delhi, BKC Mumbai, Training Centres at STC Delhi, STC Lucknow 1, STC Lucknow 2, STC Faridabad & STC Ludhiana.

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity.:**

The nature of our Bank's business does not involve activities that produce air pollutants as defined under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and therefore does not contribute to air pollution. Additionally, the Head Office and administrative offices have placed indoor plants within their premises as a proactive measure to maintain and improve indoor air quality.

Parameter	*Please specify unit*	*FY 2024-25*	*FY 2023-24*
NOx	NOT APPLICABLE		
SOx			
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others –please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) - NA

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO_2 के समकक्ष	10,621	8,494
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में जीएचजी का ब्रेक–अप यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO_2 समकक्ष	1,74,100	1,97,089
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	मीट्रिक टन CO_2 समकक्ष / राजस्व INR में	0.01	0.02
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व समायोजित किया गया पीपीपी)	मीट्रिक टन CO_2 पीपीपी के लिए समायोजित समतुल्य / राजस्व (लाख रुपये में)	0.27	0.35
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	मीट्रिक टन CO_2 पीपीपी के लिए समायोजित समतुल्य / राजस्व	1.80	2.01
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रकट करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) – जी हां

** विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित पीपीपी रूपांतरण दर 20.2रु / यूएसडी है।*

*नोट:– **बैंक के स्कोप 1 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन संगठन** के स्वामित्व वाले या उसके नियंत्रण वाले प्रत्यक्ष स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। इनमें शामिल हैं: (i) बैंक के स्वामित्व वाले वाहनों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों में ईंधन का दहनय (ii) एयर कंडीशनिंग (एसी) और एचवीएसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीक से होने वाला उत्सर्जन; और (iii) नियमित अग्नि अभ्यास और सुरक्षा प्रदर्शनों के दौरान अग्निशामक यंत्रों के उपयोग से होने वाला CO_2 उत्सर्जन। ईंधन पर खर्च के आंकड़ों का उपयोग ईंधन की खपत के लीटर को जानने के लिए किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम, भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारकरु संस्करण 1, 2015 से प्राप्त किया गया है। रेफ्रिजरेंट्स का जीडब्ल्यूपी कारक (उत्सर्जन को CO_2 समतुल्य में परिवर्तित करने के लिए) जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की पांचवीं आकलन रिपोर्ट 2014 से प्राप्त किया गया है। बैंक के मुख्यालय भवन और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रेफ्रिजरेंट रिसाव और रिफिलिंग से होने वाले उत्सर्जन की गणना की गई है।*

***बैंक के स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन** इसकी शाखाओं, कार्यालयों, डेटा केंद्रों और अन्य सुविधाओं के संचालन के लिए खरीदी गई बिजली की खपत से उत्पन्न होते हैं। ये बाहरी ऊर्जा प्रदाताओं से खरीदी गई बिजली के उत्पादन से होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन हैं। बिजली पर खर्च के आंकड़ों का उपयोग खपत की गई बिजली की इकाइयों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिजली की प्रति यूनिट उत्सर्जन कारक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट 'भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए CO_2 बेसलाइन डेटाबेस, उपयोगकर्ता गाइड–दिसंबर 2023 का संस्करण 19.0 और दिसंबर 2024 का संस्करण 20.0) से लिया गया है।*

7. **Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	*Metric tonnes of CO_2 equivalent*	10,621	8,494
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	*Metric tonnes of CO_2 equivalent*	1,74,100	1,97,089
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations)	*Metric tonnes of CO_2 Equivalent/ Revenue in INR Lacs*	0.01	0.02
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)* (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP)	*Metric tonnes of CO_2 Equivalent/ Revenue adjusted for PPP (INR Lacs)*	0.27	0.35
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	*Metric tonnes of CO_2 Equivalent/Full Time Employees*	1.80	2.01
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	NA	NA	NA

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – Yes, Ummed Jain & Co.

** PPP conversion rate used is 20.2Rs/ USD as published by the World Bank for India, for the year 2023*

*Note: - **Scope 1 greenhouse gas (GHG) emissions of the Bank** arise from direct sources owned or controlled by the organization. These include: (i) fuel combustion in Bank-owned vehicles and diesel generator (DG) sets; (ii) fugitive emissions from refrigerant leaks in air conditioning (AC) and HVAC systems; and (iii) CO_2 emissions from the use of fire extinguishers during routine fire drills and safety demonstrations. Spend data on fuel is used to arrive at the litres of fuel consumed. Emission factor for petrol and diesel has been sourced from India GHG Program, India Specific Road Transport Emission Factors: Version 1, 2015. GWP factor of refrigerants (for converting emission to tCO2 equivalent) is sourced from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report 2014. Emission from refrigerant leakage and refilling is calculated for HO building and 14 training centres of the Bank.*

***Scope 2 greenhouse gas (GHG) emissions of the Bank** arise from the consumption of purchased electricity for the operation of its branches, offices, data centres, and other facilities. These are indirect emissions resulting from the generation of electricity purchased from external energy providers. Spend data on electricity is used to arrive at the units of electricity consumed. Emission factor per unit of electricity is taken from the Central Electricity Authority (CEA) in its report "CO_2 Baseline Database for Indian Power Sector, User Guide-Version 19.0 of December 2023 & Version 20.0 of December 2024).*

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

बैंक ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। कुछ शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं जो भविष्य की योजना के लिए बनाई गई है, नीचे दी गई हैं:

क) जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत को कम करके जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंक के स्वामित्व वाले भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही हैरू

- बैंक भवनों में 1100 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
- बैंक की निर्माणाधीन बड़ी इमारत परियोजनाओं में 625 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न बैंक स्वामित्व वाली मौजूदा इमारतों में 1487 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू की गई है और पूरी होने वाली है।
- अगले चरण में पट्टे पर दिए गए परिसरों में भी सौर ऊर्जा स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी।

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए 5 स्टार एसी, वीआरएफ एसी, लाइट फिक्सर, पंखे आदि जैसे ऊर्जा कुशल उपकरणों की स्थापना और इस प्रकार जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान करना।

ग) उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल जेनसेट्स के स्थान पर प्रधान कार्यालय द्वारका भवन में प्राकृतिक गैस आधारित जेनसेट्स (2 सं. x 1000 केवीए) की स्थापना।

घ) बैंक जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों से अपने अधिकारियों के लिए हाइब्रिड/ईवी वाहनों में बदलाव की योजना बना रहा है। वर्तमान में बैंक के पास अखिल भारतीय स्तर पर कुल 1455 कारों के फ्लीट में 196 हाइब्रिड कारें हैं।

ङ) बैंक ने ईवी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। बैंक ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोलध्डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल से आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में साइकिल स्टैंड स्थापित किया है।

च) पूरे भारत में शाखाओं में डीजी सेट को हरित समाधान से बदलने के एक हिस्से के रूप में, ओपेक्स मॉडल पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के आधार पर सोलर हाइब्रिड यूपीएस सिस्टम की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, जिसमें एक शाखा में 8.5 किलोवाट क्षमता की सोलर यूपीएस प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद, अन्य शाखाओं में इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इससे डीजी सेट में डीजल की खपत में कमी करके उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी।

छ) बैंक ने उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट पलाश के अंतर्गत लगभग 3 लाख पौधे लगाए हैं।

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

The Bank has taken up numerous project related to reducing Green House Gas emission. Some of the major projects undertaken and planned for future are given hereunder:

A) Solar Power Plant installation in Bank's owned buildings are being done to reduce the GHG emissions by reducing consumption of fossil fuel based electricity:

- 1100 KWp solar power plants already installed in bank buildings.
- 625 KWp solar power plants are under implementation in under-construction large building projects of Bank.
- 1487 KWp of solar power project at various bank owned existing buildings on PAN India basis is initiated in FY 2024-25 and at the verge of completion.
- In the next phase, the solar power installation will be explored in leased premises also.

B) Installation of energy efficient equipment like 5 Star ACs, VRF AC, light fixtures, fans etc. to reduce the energy consumption and thereby contributing in reduction of GHG emissions.

C) Installation of Natural Gas Based Gensets (2 Nos x 1000 KVA) at HO Dwarka building to replace Diesel Gensets to reduce emissions.

D) The Bank is planning to transitioning to Hybrid/EV vehicles for the executives from the fossil fuel based vehicles. At present the Bank has 196 Hybrid cars in its fleet of total 1455 cars at PAN India level.

E) The Bank has installed EV charging station at HO building to encourage use of EVs. The Bank has installed Cycle Stand in the Head Office building to encourage commuting by bicycles in place of Petrol/Diesel vehicles to reduce GHG emissions.

F) As a part of replacing the DG sets in branches on PAN India basis with a greener solution, a project for installation of Solar Hybrid UPS system on Proof of Concept (POC) basis on Opex model has been undertaken, wherein a Solar UPS system of 8.5 KW capacity has been installed at one branch. After evaluating the performance of this system, the decision shall be taken for implementing such type of system in other branches. This will help in reducing emissions by reduction in diesel consumption in DG sets.

G) The Bank has planted approx. 3 lacs plants under Project Palaash for sequestering the emissions.

ज) बैंक में स्थापित किए जा रहे सभी नए एसी और एसी संयंत्र, जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए कम जीडब्ल्यूपी रेफ्रिजरेंट गैस का उपयोग कर रहे हैं।

झ) बैंक की शाखाओं में एलईडी ग्लो साइन बोर्ड की स्थापना, जिसमें टाइमर सुविधा है जो दिन की रोशनी में स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।

ञ) द्वारका, नई दिल्ली में स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय भवन फाइव स्टार जीआरआईएचए रेटेड भवन है। निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं में बैंक ग्रीन बिल्डिंग की योजना बना रहा है।

ट) बैंक अपने छोटे कार्यालयों के लिए, जिनके पास एलटी कनेक्शन है, डिस्कॉम्स से ग्रीन टैरिफ (जिसमें ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा है) के विकल्प की खोज कर रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत कम होगी और परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

ठ) बैंक ओपन एक्सेस सौर ऊर्जा प्राप्त करने का विकल्प तलाश रहा है, जिसमें 100 किलोवाट और उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले अपने बड़े कार्यालयों के लिए विद्युत क्रय समझौता सीधे विद्युत उत्पादन कंपनी के साथ किया जाएगा, जिससे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की खपत कम होगी और परिणामस्वरूप जीएचजी उत्सर्जन में कमी आएगी।

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	*वित्त वर्ष 2024–25*	*वित्त वर्ष 2023–24*
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	
प्लास्टिक अपशिष्ट **(ए)***	6.03 मीट्रिक टन	6.58 मीट्रिक टन
ई–कचरा **(बी)**	1.1 मीट्रिक टन (कुल राशि ₹ 2,87,200)	10 मीट्रिक टन (कुल राशि ₹ 93,18,160)
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट **(सी)**	लागू नहीं	
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट **(डी)**	लागू नहीं	
बैटरी अपशिष्ट **(ई)**	बैटरी की आयु समाप्त होने पर उसे बाय–बैक ऑफर के तहत बेचा जाता है, जबकि नई बैटरी खरीदी जाती है। इसलिए, बैटरी अपशिष्ट का निपटानध्पुनर्चक्रण हम सीधे नहीं करते हैं और इसलिए इसके लिए कोई मात्रा निर्धारण उपलब्ध नहीं है।	
रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(एफ)**	लागू नहीं	
अन्य संकटजनक अपशिष्ट, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें। **(जी)**	लागू नहीं	
अन्य गैर– संकटजनक अपशिष्ट जनरेट किए गए (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। संरचना के अनुसार ब्रेक–अप (अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार)	17.61 मीट्रिक टन	18.97 मीट्रिक टन
कुल (एबी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	**24.74 मीट्रिक टन**	**35.55 मीट्रिक टन**
प्रति रुपया टर्नओवर में अपशिष्ट की तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)	0.00	0.00

H) All the new ACs and AC plant being installed in the Bank are with Low GWP Refrigerant Gas to reduce the GHG emissions.

I) Installation of LED Glow Sign Boards at branches of the bank, with timer facility which automatically switched off in daylight.

J) Bank's Head Office building situated at Dwarka, New Delhi is a five star GRIHA rated building. The Bank is planning for GREEN buildings in ongoing building construction projects.

K) Bank is exploring the option of green tariff (wherein the energy source is renewable energy) from DISCOMS for its small offices having LT connections, thereby reducing the consumption of fossil fuel based electricity leading to reduced GHG emissions.

L) Bank is exploring the option of procuring Open access solar power wherein the Power Purchase Agreement will be made directly with Power Generation Company, for its large offices having connected load of 100 KW & above, thereby reducing the consumption of fossil fuel based electricity leading to reduced GHG emissions.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	*FY 2024-25*	*FY 2023-24*
	Total Waste generated (in metric tonnes)	
Plastic waste ***(A)****	6.03 MT	6.58 MT
E-waste ***(B)***	1.1 MT (amounting to Rs.2,87,200)	10 MT (amounting Rs.93,18,160)
Bio-medical waste ***(C)***	Not Applicable	
Construction and demolition waste ***(D)***	Not Applicable	
*Battery waste **(E)***	Batteries at the end of its life are sold under the buy-back offer while procuring new batteries. So, battery waste is not disposed/recycled by us directly and hence no quantification is available for same.	
Radioactive waste ***(F)***	Not Applicable	
Other Hazardous waste. Please specify, if any. ***(G)***	Not Applicable	
Other Non-hazardous waste generated ***(H)***[#]. Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	17.61 MT	18.97 MT
Total (A + B + C + D + E + F + G + H)	**24.74 MT**	**35.55 MT**
Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated / Revenue from operations) (INR Lacs)	0.00	0.00

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर की अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	0.00	0.00
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	0.00	0.00
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक)– इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	लागू नहीं	
(ii) पुनः उपयोग		
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य		
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	हमारे यहां अपशिष्ट उत्पादन न्यूनतम है, जिसके परिणामस्वरूप उसे जलाने या लैंडफिलिंग की आवश्यकता नहीं है।	
(ii) लैंडफिलिंग		
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं

**बैंक में प्लास्टिक कचरा पानी की बोतलों आदि जैसे उत्पादों के उपभोग के कारण उत्पन्न होता है। अखिल भारतीय आधार पर सभी शाखाओं/कार्यालयों का डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है और बैंक अखिल भारतीय स्तर पर इसे मापने के लिए एक प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहा है। दिया गया प्लास्टिक अपशिष्ट डेटा बैंक के प्र.का द्वारका भवन के लिए है।*

 # प्र.का. द्वारका भवन में सूखा और गीला कचरा जिसमें कार्डबोर्ड, कागज और खाद्य अपशिष्ट शामिल हैं।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

एबैंक कचरे के उत्पादन को कम करने और जितना संभव हो सके उसे रीसाइकिल करने का प्रयास करता है। हमारे कचरे में मुख्य रूप से भोजन, कचरा, कागज और ई–कचरा शामिल है।

- **प्लास्टिक कचरे में कमीः** हमने प्लास्टिक दस्तावेज फोल्डरों की खरीद बंद कर दी है और अपने कार्मिकों को अपने कार्यालयों में कांच की बोतलों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों की संख्या कम हो सके। हमारी सभी सुविधाएँ सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा बैग का उपयोग करती हैं।

Parameter	**FY 2024-25**	**FY 2023-24**
Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP) (INR Lacs)	0.00	0.00
Waste intensity in terms of physical output	0.00	0.00
Waste intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	NA	NA
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled	NA	
(ii) Re-used		
(iii) Other recovery operations		
Total		
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	Our waste generation is minimal and consequently there is no requirement of incineration or landfilling activities.	
(ii) Landfilling		
(iii) Other disposal operations		
Total	NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No

**Plastic waste is generated in Bank is due to consumption of products like water bottles etc. The data for all the branches/offices on PAN India basis is not yet available and Bank is making efforts to develop a system to quantify the same at PAN India level. The plastic waste data given is for Bank's HO Dwarka building.*

 # Dry and wet waste at HO Dwarka building comprising of cardboard, paper and food waste.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Bank strives to reduce waste production and recycle as much as possible. Our waste primarily comprises of food, waste, paper and e-waste.

- **Reduction of plastic waste:** We have stopped procurement of plastic document folders and encourage our employees to use glass bottles at our offices to reduce the number of plastic bottles being discarded after use. All our facilities use 100% biodegradable plastic garbage bags to collect and dispose of dry and wet waste.

- **कागज और छपाई की उपभोग कम करना:** हमने कागज की जरूरत को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए मजबूत उपाय लागू किए हैं। कार्यालयों में कागज के इस्तेमाल को और कम करना एक सतत गतिविधि है।
- **ई–कचरा प्रबंधन:** हमारे ई–कचरे में मोटे तौर पर कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, यूपीएस, बैटरी आदि शामिल हैं। ऐसे सभी ई–कचरे का निपटान पंजीकृत ई–कचरा विक्रेताओं के माध्यम से किया जा रहा है।
- **सीवेज ट्रीटमेंट:** बैंक ने अपने प्रमुख भवनों में एसटीपी स्थापित किए हैं, जिनमें प्र. का. द्वारका भवन भी शामिल है। इस पहल से जल दक्षता में वृद्धि हुई है और बागवानी तथा सेंट्रल एसी प्लांट में आंतरिक उपयोग के लिए रीसाइकिल पानी का उपयोग किया जा रहा है।

11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) मेंध्आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

बैंक की पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई शाखा/कार्यालय नहीं है। तदनुसार, यह नियम बैंक पर लागू नहीं होता।

क्र. सं.	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा यदि कोई उपचारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण दीजिए।
लागू नहीं			

12. चालू वित्त वर्ष में लागू विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरु की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण विधि/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैय जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	उस विधि/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
शून्य				

- **Reducing paper and printing consumption:** We have implemented strong measures for digitising processes to reduce the need for paper. Further minimising the usage of paper across offices is an ongoing activity.
- **E-waste management:** Our E-waste broadly includes computers, servers, scanners, UPSs, Batteries, etc. All such E-wastes are being disposed off through registered E-waste vendors.
- **Sewage Treatment:** Bank has installed STPs at its major buildings including HO Dwarka building. This initiative has led to water efficiency and use of recycle water for internal use in gardening and Central AC plant.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

The Bank does not have branches/offices inside the ecologically sensitive areas. Accordingly, the same is not applicable to Bank.

S. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
Not Applicable			

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Nil					

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

S.No.	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
The Bank is complying with applicable statutory guidelines.				

नेतृत्व संकेतक

1. **जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग और निस्सरण (किलोलीटर में):**

   जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

   (i) क्षेत्र का नाम – लागू नहीं

   (ii) परिचालन की प्रकृति – लागू नहीं

   (iii) जल निकासी, उपभोग और निस्सरण निम्नलिखित प्रारूप में:

i|jkehVj	foÙk o"k 2024&25	foÙk o"k 2023&24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल	लागू नहीं	
(ii) भूजल		
(iii) थर्ड पार्टी वाटर		
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया टर्नओवर पर जल तीव्रता (जल उपभोग/कारोबार)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल	लागू नहीं	
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) थर्ड पार्टी वाटर में		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
–कोई शोधन नहीं		
–शोधन के साथ–कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल जलस्राव (किलोलीटर में)		

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) – नहीं

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):**

   For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

   (i) Name of the area - NA

   (ii) Nature of operations - NA

   (iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	Not Applicable	
(ii) Groundwater		
(iii) Third party water		
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others		
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)		
Total volume of water consumption (in kilolitres)		
Water intensity per rupee of turnover (Water consumed / turnover)		
Water intensity *(optional)* – the relevant metric may be selected by the entity		
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Into Surface water	Not Applicable	
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Into Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Into Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) – No

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	**वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
श्रेणी 1–खरीदी गई वस्तु और सेवाएं	CO_2 समतुल्य मीट्रिक टन	605.00	525.00
श्रेणी 3: ईंधन और ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 में शामिल नहीं)		8,717.75	8,175.48
श्रेणी 5–परिचालन में उत्पन्न अपशिष्ट (कागज अपशिष्ट और ई–कचरा) के		94.82	82.88
श्रेणी 6 – व्यावसायिक यात्रा		12,069.99	11,336.00
श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन		80,084.00	81,787.00
श्रेणी 15– निवेश (वित्तपोषित उत्सर्जन)		6,76,98,831.03	6,76,48,195.13
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन* **	$MtCO_2e$	6,78,00,402.60	6,77,50,101.49
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन*	$MtCO_2e$ / रुपया लाख	4.91	5.63

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? : हां

नोट:– स्कोप 3 – श्रेणी 1 – खरीदी गई वस्तुएँ और सेवाएँ: *इस श्रेणी में आंतरिक उपभोग के लिए A4 पेपर की खरीद से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान खरीदे गए ।4 पेपर की मात्रा के आधार पर उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया है। पर्यावरण पेपर नेटवर्क के पेपर कैलकुलेटर (संस्करण 4.0, c-environmentalpaper.org पर उपलब्ध) का उपयोग पेपर खरीद से अनुमानित उत्सर्जन की गणना करने के लिए किया गया है। बैंक के प्र.का. प्रभागों और 14 प्रशिक्षण केंद्रों के लिए खरीदे गए ए4 पेपर को उत्सर्जन गणना के लिए माना जाता है।*

स्कोप 3 – श्रेणी 3: ईंधन और ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन जो स्कोप 1 या स्कोप 2 में शामिल नहीं हैं: *किराए पर लिए गए डीजल जेनरेटर सेट में ईंधन की खपत का उपयोग उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ईंधन पर खर्च किए गए डेटा का उपयोग ईंधन की खपत के लीटर का पता लगाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के लिए उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम, भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक: संस्करण 1, 2015 से लिया गया है।*

स्कोप 3 – श्रेणी 5: संचालन में उत्पन्न अपशिष्ट: *उत्सर्जन का अनुमान लगाने के लिए कागज के कचरे और ई–कचरे की मात्रा का उपयोग किया जाता है। उत्सर्जन कारक USEPA वेबसाइट से लिए गए हैं। बैंक के मुख्यालय प्रभागों और 14 प्रशिक्षण केंद्रों से निकलने वाले कागज के कचरे को उत्सर्जन की गणना के लिए माना जाता है।*

स्कोप 3 – श्रेणी 6 – व्यावसायिक यात्रा: *व्यावसायिक यात्रा से ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का अनुमान बैंक के आंतरिक यात्रा डेटाबेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों – अर्थात् हवाई, रेल, बस, कार, दोपहिया और जल परिवहन – के माध्यम से यात्रा की गई दूरी (किलोमीटर में) को ध्यान में रखा गया है। यात्रा–संबंधी उत्सर्जन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्सर्जन कारक इस प्रकार हैं:*

i. सड़क और रेल परिवहन: उत्सर्जन कारक भारत जीएचजी कार्यक्रम – भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015) और यात्री और सामग्री परिवहन संस्करण 1.0 (2015) के लिए भारत विशिष्ट रेल परिवहन उत्सर्जन कारक पर आधारित हैं।

ii. वायु और जल परिवहन: उत्सर्जन कारक जीएचजी प्रोटोकॉल – क्रॉस–सेक्टर टूल्स से उत्सर्जन कारक (13 मार्च 2024) से प्राप्त किए गए हैं।

स्कोप 3 – श्रेणी 7: कर्मचारी आवागमन: *इस श्रेणी में कर्मचारियों द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य स्थानों पर आने–जाने से होने वाले ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन शामिल हैं। उत्सर्जन अनुमान मोड–वार आवागमन पैटर्न और यात्रा दूरी को पकड़ने के लिए आयोजित एक प्राथमिक पैन–बैंक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।*

उत्सर्जन कारकों के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया हैरू

i. सड़क और रेल परिवहन: भारत विशिष्ट सड़क परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015) और यात्री और सामग्री परिवहन के लिए भारत विशिष्ट रेल परिवहन उत्सर्जन कारक संस्करण 1.0 (2015)।

ii. मेट्रो रेल: उत्सर्जन कारक ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) से प्राप्त किए गए हैं।

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25	FY 2023-24
Category 1- Purchased Goods and Services	Metric tonnes of CO_2 equivalent	605.00	525.00
Category 3: Fuel and Energy Related activities (not included in scope 1 and scope 2)		8,717.75	8,175.48
Category 5 – Waste generated in operations (Paper Waste and E-Waste)		94.82	82.88
Category 6 – Business Travel		12,069.99	11,336.00
Category 7: Employee Commuting		80,084.00	81,787.00
Category 15- Investments (Financed Emissions)		6,76,98,831.03	6,76,48,195.13
Total Scope 3 emissions	$MtCO_2e$	6,78,00,402.60	6,77,50,101.49
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover	$MtCO_2e$ / Revenue	4.91	5.63

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? :Yes, Ummed Jain & Co.

*Note:- **Scope 3 - Category 1 – Purchased Goods and Services:** This category includes greenhouse gas (GHG) emissions associated with the purchase of A4 paper for internal consumption. Emissions have been estimated based on the quantity of A4 paper purchased during FY 2024–25. The Environmental Paper Network's Paper Calculator (version 4.0, available at c.environmentalpaper.org) has been used to calculate the estimated emissions from paper purchases. A4 paper purchased for HO Divisions and 14 training centres of the Bank is considered for emission calculation.*

Scope 3 - Category 3: Fuel-and energy-related emissions not included in Scope 1 or Scope 2: *Fuel consumption in rented Diesel Generator Sets is used to estimate emissions. Spend data on fuel is used to arrive at the litres of fuel consumed. Emission factor for petrol and diesel has been sourced from India GHG Program, India Specific Road Transport Emission Factors: Version 1, 2015.*

Scope 3 - Category 5: Waste generated in operations: *Quantity of Paper waste and E-waste is used to estimate emission. Emission factors have been taken from the USEPA website. Paper waste from HO Divisions and 14 training centres of the Bank is considered for emission calculation.*

Scope 3 - Category 6 – Business Travel: *Greenhouse gas (GHG) emissions from business travel have been estimated based on data sourced from the Bank's internal travel database. Distance travelled (in kilometers) across multiple modes of transport—namely air, rail, bus, car, two-wheeler, and water transport—has been considered for the reporting period. Emission factors used for calculating travel-related emissions are as follows:*

i. Road and Rail Transport: Emission factors are based on the India GHG Program – India Specific Road Transport Emission Factors Version 1.0 (2015) and India Specific Rail Transport Emission Factors for Passenger and Material Transport Version 1.0 (2015).

ii. Air and Water Transport: Emission factors have been sourced from the GHG Protocol – Emission Factors from Cross-Sector Tools (13 March 2024).

Scope 3 – Category 7: Employee Commuting: *This category includes greenhouse gas (GHG) emissions resulting from employees commuting to and from their designated work locations. Emission estimates are based on responses received through a primary pan-bank survey conducted to capture mode-wise commuting patterns and travel distances.*

The following sources have been used for emission factors:

i. Road and Rail Transport: India Specific Road Transport Emission Factors Version 1.0 (2015) and India Specific Rail Transport Emission Factors for Passenger and Material Transport Version 1.0 (2015).

ii. Metro Rail: Emission factors have been sourced from The Energy and Resources Institute (TERI).

स्कोप 3 – श्रेणी 15: वित्तपोषित उत्सर्जन: बैंक ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स (PCAF) ग्लोबल GHG अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर द फाइनेंशियल इंडस्ट्री (द्वितीय संस्करण, 2022) के लिए पार्टनरशिप का उपयोग करके अपने स्कोप 3 – श्रेणी 15 (वित्तपोषित उत्सर्जन) का अनुमान लगाया, जिसमें इसके शुद्ध अग्रिम और निवेश पोर्टफोलियो का 88.59% शामिल है। बैंक के पोर्टफोलियो को PCAF–परिभाषित परिसंपत्ति वर्गों के साथ संरेखित किया गया है। निवेशित और उधारकर्ता कंपनियों की BRSR फाइलिंग से उत्सर्जन डेटा का उपयोग बैंक के वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना करने के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की निम्नलिखित कारणों से पुनर्गणना की गई है:

i. अद्यतित उत्सर्जन डेटा का उपयोग: BRSR वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन गणना में उपयोग किए गए उद्योग उत्सर्जन तीव्रता (BRSR प्रकटीकरण से कंपनी–स्तरीय स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन के आधार पर) के साथ–साथ स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन डेटा को वित्त वर्ष 2023 BRSR डेटा से प्राप्त किया गया था, क्योंकि उस समय वित्त वर्ष 2024 का डेटा उपलब्ध नहीं था। BRSR वित्त वर्ष 2024–25 प्रकटीकरण के लिए, वित्त वर्ष 2024 ठत्ैत फाइलिंग से अपडेट किए गए वित्त वर्ष 2024 स्कोप 1 और 2 डेटा और संशोधित उद्योग उत्सर्जन तीव्रता का उपयोग करके वित्त वर्ष 2024 BRSR का उपयोग करके पुनर्गणना की गई है।

ii. एक साल का डेटा अंतराल: उत्सर्जन डेटा में लगातार एक साल का अंतराल बना हुआ है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025 का वित्तपोषित उत्सर्जन वित्त वर्ष 2024 BRSR डेटा पर आधारित होगा।

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में सूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ–साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

बैंक की पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई शाखा/कार्यालय नहीं है। तदनुसार, यह नियम बैंक पर लागू नहीं होता।

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ–साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:

क्र. स.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो तो, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल
1.	सौर ऊर्जा	स्थापित क्षमता: विभिन्न बैंक भवनों में 1100 किलोवाट प्रति घंटा के सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। स्थापना के अधीन: बैंक की नई निर्माणाधीन बड़ी इमारत परियोजनाओं में 625 किलोवाट प्रति घंटा के सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन के अधीन हैं। अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न बैंक स्वामित्व वाली मौजूदा इमारतों में 1487 किलोवाट प्रति घंटा की सौर ऊर्जा परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू की गई है और कार्यान्वयन के अधीन है।	इस पहल के कार्यान्वयन से बैंक ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन संयंत्रों से ऊर्जा की खपत को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है।
2.	हरित भवन	वर्तमान मेंरू प्र का द्वारका बिल्डिंग निर्माणाधीनरू गुड़गांव, देहरादून इमारतें	इस पहल से बैंक ने ऊर्जा, जल एवं अन्य संसाधनों के कुशल उपयोग में योगदान दिया है।
3.	ऊर्जा बचत उपाय	बैंक ने ऊर्जा बचत के उपाय अपनाए हैं, जैसे बीईई स्टार रेटेड उपकरण, एलईडी फिक्सचर, ऑक्यूपेंसी सेंसर और एलईडी ग्लो साइन बोर्ड लगाना तथा अपने सभी कार्यालयों में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना।	इस पहल से बैंक ने ऊर्जा की बचत की है और इसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।

***Scope 3 – Category 15: Financed Emission:** The Bank estimated its Scope 3 – Category 15 (Financed Emissions) using the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry (2nd Edition, 2022), covering 88.59% of its net advances and investments portfolio. The Bank's portfolio has been aligned with PCAF-defined asset classes. Emission data from BRSR filings of investee and borrower companies has been used to calculate the Bank's financed emissions. Financed emissions for FY 2023–24 have been recalculated due to the following reasons:*

i. Use of Updated Emission Data: The Scope 1 and Scope 2 emission data, along with industry emission intensity (based on company-level Scope 1 and 2 emissions from BRSR disclosures), used in the financed emissions calculation for BRSR FY 2023–24 were derived from FY 2023 BRSR data, as FY 2024 data were unavailable at the time. For the BRSR FY 2024–25 disclosure, financed emissions have been recalculated using updated FY 2024 Scope 1 and 2 data and revised industry emission intensities from FY 2024 BRSR filings.

ii. One-Year Data Lag: A consistent one-year lag in emissions data persists. Accordingly, FY 2025 financed emissions will be based on FY 2024 BRSR data.

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

The Bank does not have branches/offices inside the ecologically sensitive areas. Accordingly, the same is not applicable to Bank.

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

Sr. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative *(Web-link, if any, may be provided along-with summary)*	Outcome of the initiative
1.	Solar Power	Installed Capacity: 1100 KWp solar power plants already installed at various bank buildings. Under installation: 625 KWp solar power plants are under implementation in new under-construction large building projects of Bank. 1487 KWp of solar power project at various bank owned existing buildings on PAN India basis is initiated in FY 2024-25 & is under implementation.	By implementation of this initiative, Bank has reduced its consumption of energy from fossil fuel generating plants thereby resulting in reduction of carbon footprints of Bank.
2.	Green Building	At Present: HO Dwarka Building Under-construction: Gurgaon, Dehradun buildings	By this initiative, bank has contributed in efficient use of energy, water and other resources.
3.	Energy Saving Measures	The Bank has adopted the energy saving measures like installation of BEE Star rated equipments, LED fixtures, Occupancy sensors and LED glow sign board and setting the AC temperature at 24 deg C at all its offices.	By this initiative, Bank has achieved energy saving and thereby resulted in reduction on carbon emission of the Bank.

क्र. स.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो तो, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल
4.	वृक्षारोपण अभियान	बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रोजेक्ट पलाश के अंतर्गत लगभग 3 लाख पौधे लगाए हैं।	इस पहल के द्वारा बैंक ने जीएचजी उत्सर्जन को रोकने में योगदान दिया है।
5.	विद्युत लेखा परीक्षा	बैंक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अपनी सभी शाखाओं/कार्यालयों का विद्युत लेखा–परीक्षण (इलेक्ट्रीकल ऑडिट) कराता है।	शाखाओं/कार्यालयों का नियमित विद्युत ऑडिट सक्रिय कार्रवाई करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत स्थापना के कारण आग लगने की संभावना कम होती है, ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है, तथा बिजली बिलों में लागत बचत होती है।
6.	सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)	बैंक ने मुख्यालय द्वारका भवन सहित अपने प्रमुख भवनों में एसटीपी स्थापित किए हैं।	इस पहल से जल दक्षता में वृद्धि हुई है तथा बागवानी और सेंट्रल एसी प्लांट में आंतरिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग किया जा रहा है।
7.	वर्षा जल संचयन प्रणाली	बैंक ने 7 भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की है।	इस पहल के माध्यम से बैंक भूजल भंडार को पुनः भरने में योगदान दे रहा है।

5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है?

कारोबार निरंतरता योजना

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना के लिए नीति बनाई है, जो आईटी, गैर–आईटी और मानव संसाधन से संबंधित पहलुओं सहित बैंक के सभी व्यावसायिक संचालन को कवर करती है। यह नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक प्रभावी बीसीपी स्थापित करने, उसकी देखरेख करने और उसे लागू करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, आपदा रिकवरी योजना, महामारी प्रतिक्रिया के साथ–साथ परीक्षण, प्रशिक्षण, बैकअप, वैकल्पिक साइट, रिकवरी व्यवस्था का प्रावधान शामिल है, जो बैंक को आपदा से निपटने और उससे उबरने में सक्षम बनाता है और संचालन की विश्वसनीयता और निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसकी प्रभावशीलता के लिए समय–समय पर समीक्षा और ऑडिट भी किए जाते हैं।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

लागू नहीं

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

लागू नहीं

Sr. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative *(Web-link, if any, may be provided along-with summary)*	Outcome of the initiative
4.	Plantation Drive	Bank has planted approx. 3 lacs plants under Project Palaash at all India level.	By this initiative, Bank has contributed in sequestering the GHG emissions.
5.	Electrical audit	Bank conducts the Electrical Audit of all its branches/offices once in every two years.	The regular electrical audit of branches/ offices is done to take the pro-active actions, which results in less chances of fire hazards due to electrical installation, improvement in energy efficiency, and cost savings in electricity bills.
6.	Sewage Treatment Plants (STP)	Bank has installed STPs at its major buildings including HO Dwarka building.	The initiative has led to water efficiency and use of recycle water for internal use in gardening and Central AC plant
7.	Rainwater harvesting system	Bank has installed Rainwater harvesting system at 7 buildings.	Through this initiative, Bank is contributing in the replenishing groundwater reserves.

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan?

Business Continuity Plan

Bank has in place a Board approved Policy for Business Continuity Management and Operational Resilience which covers all the business operations of the Bank including IT, Non-IT and HR related activities. It outlines well defined governance structures to establish, oversee and implement an effective Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan aligned with the regulatory guidelines. It incorporates emergency response plan, disaster recovery plan, pandemic response along with the provision of testing, training, backup, alternate site, recovery arrangements which together enable bank to respond and recover from disaster and ensure seamless continuity of operations. The document is periodically reviewed and undergoes audit for its effectiveness.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

Not Applicable

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

Not Applicable

सिद्धांत 7 ऐसे कारोबार जो सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते को कारोबार जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

1. **क) व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या।**

   व्यापार और उद्योग मंडलों/संघो के साथ आठ (7) संबद्धताएं हैं

ख) उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्र. सं	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/ संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी), नई दिल्ली	राष्ट्रीय
2	एसोसिएट चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ेव्ब्भ्।ड)	राष्ट्रीय
3	च्भ्क चौंबर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
4	फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (थ्प्ब्ब्)	राष्ट्रीय
5	भारतीय उद्योग परिसंघ (ब्प्), नई दिल्ली	राष्ट्रीय
6	सार्वजनिक उपक्रमों की स्थायी परिषद ैब्व्च्म्)	राष्ट्रीय
7	भारतीय बैंक संघ (प्ठ।)	राष्ट्रीय
8	कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स के लिए भागीदारी (च्ब्।थ्)	अंतर्राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

प्राधिकरण का नाम	मामले के संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरणः

क्र. सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	इस तरह के समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक/अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
शून्य					

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

1. **a) Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

   There are thirteen (13) affiliations with trade and industry chambers/ associations

   b) List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	International Chambers of Commerce (ICC), New Delhi	National
2	Associate Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
3	PHD Chamber of Commerce	National
4	Federation of Commerce and Industry (FICCI)	National
5	Confederation of Indian Industry (CII), New Delhi	National
6	Standing Council of Public Enterprises (SCOPE)	National
7	Indian Banks' Association (IBA)	National
8	Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)	International

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
NIL		

LEADERSHIP INDICATORS

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
NIL					

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर और आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर और आर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का %	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

बैंक आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही उनकी शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करता है। शिकायत निवारण के लिए, ग्राहक और समुदायों के पास अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने के लिए निम्नलिखित चैनल हैं:

- संपर्क केंद्र (टोल फ्री / टोल नंबर)
- इंटरनेट बैंकिंग सेवा / मोबाइल बैंकिंग ऐप / कॉर्पोरेट वेबसाइट।
- ईमेल करें care@pnb.co.in
- एमडी एवं सीईओ / चेयरमैन / वित्त मंत्रालय / आरबीआई आदि।
- लोक शिकायत विभाग (सीपीजीआरएएम) / आईएनजीआरएएम।
- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
- डाक
- शाखा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से शिकायत।

  बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाता है।

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.**

Name and brief details of project	SIA Notification No	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Nil					

2. **Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:**

S. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
Not Applicable						

3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.**

The Bank is committed to uplifting economically and socially disadvantaged communities while effectively addressing their grievances. For grievance redressal, customer and communities have following channels to voice their concerns and provide feedback:

- The Bank has an on-line Grievance Redressal Management Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also.
- Contact centres (Toll free/ Toll numbers)
- Internet Banking Service / Mobile Banking app / Corporate Website.
- Email at care@pnb.co.in
- MD & CEO / Chairman/ Ministry of Finance/RBI etc.
- Department of Public Grievance (CPGRAM)/INGRAM.
- Social Media such as Facebook, Twitter, LinkedIn and other social media platforms.
- Post.
- Complaints in Person at Branch Offices.

  The grievances received by the Bank are resolved in a time bound manner.

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (कुल इनपुट में इनपुट का मूल्य):

(करोड़ रुपए में)

	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2023–24
सीधे छोटे उत्पादकों/ एमएसएमई से प्राप्त	20% (₹252.73 crore)	15.68% (₹124.79 crore)
सीधे भारत के भीतर से	100% (₹1267.03 crore)*	100% (₹766.17 crore)*

एमएसई खरीद केवल ळमड के माध्यम से की गई खरीद के लिए उपलब्ध है। इसलिए उपरोक्त आंकड़े केवल ळमड के माध्यम से बैंक की खरीद के लिए हैं।

**यह आंकड़ा एमएसई से प्राप्त सामग्री (अर्थात जीईएम के माध्यम से कुल खरीद) सहित है।*

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन–निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा, कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2024–25	वित्त वर्ष 2023–24
ग्रामीण	23.12%	21.58%
अर्ध शहरी	18.93%	18.05%
शहरी	34.86%	32.35%
महानगर	23.10%	28.03%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	असम	बारपेटा	47292
2	पंजाब	मोगा	99990
3	तमिल नाडु	वायनाड	50000
4	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	49500
5	भूबनेश्वर	मल्कानगिरी	45000
6	गुवाहाटी	हैलाकांडी	98000
7	भोपाल	विदिशा	38400
8	बिहार	औरंगाबाद	49500
		पूर्णिया	99400
		मुजफ्फरपुर	36590
9	झारखंड	रामगढ	50152
		रांची	100967
10	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	198639
		हरिद्वार	134800

4. **Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:**

	FY 2024-25	FY 2023-24
Directly sourced from MSMEs/ Small producers	20% (₹252.73 crore)	15.68% (₹124.79 crore)
Directly from within India	100% (₹1267.03 crore)*	100% (₹766.17 crore)*

The MSE procurement is available only for the procurement done through GeM. Hence the above figures are for the procurement of Bank through GeM only.

**The figure is inclusive of materials sourced from MSEs (i.e. total procurement through GeM)*

5. **Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost**

Location	FY 2024-25	FY 2023-24
Rural	23.12%	21.58%
Semi-urban	18.93%	18.05%
Urban	34.86%	32.35%
Metropolitan	23.10%	28.03%

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):**

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
Not Applicable	

2. **Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:**

S. No.	State	Aspirational District	Amount spent (In INR)
1	Assam	Barpeta	47292
2	Punjab	Moga	99990
3	Tamil Nadu	Wayanad	50000
4	Himanchal Pradesh	Chamba	49500
5	Bhubhaneshwar	Malkangiri	45000
6	Guwahati	Hailakandi	98000
7	Bhopal	Vidisha	38400
8	Bihar	Aurangabad	49500
		Purnia	99400
		Muzzaffarpur	36590
9	Jharkhand	Ramgarh	50152
		Ranchi	100967
10	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	198639
		Haridwar	134800

3. क) **क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)**

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित खरीद नीति है जो मोटे तौर पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रसारित सामान्य वित्तीय नियमों पर आधारित है। इसके अलावा, नीति में सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE's) के माध्यम से अधिमान्य खरीद के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। स्टार्ट–अप को बैंक की खरीद के लिए निविदा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ छूट भी दी जाती है। दिशा–निर्देशों के तहत एससी/एसटी उद्यमियों के एमएसई से खरीद के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

इसके अलावा बैंक की खरीद नीति में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी खरीद वरीयता नीति भी शामिल है।

ख) **आप किन उपेक्षित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, स्टार्ट–अप।

ग) **यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?**

बैंक के प्राथमिक कार्यों में जमाराशि स्वीकार करना और ऋण वित्तपोषण का प्रावधान शामिल है एवं बैंक की कुल खरीद की तुलना में हाशिए पर /कमजोर समूह से खरीद करना न्यूनतम है। हालाँकि, हमने सीधे छोटे/एमएसएमई उत्पादकों से स्रोत प्राप्त किया है। इसे पहले ही सिद्धांत 8 (आवश्यक संकेतक) के बिंदु 4 में उद्धृत किया जा चुका है।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):**

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान**

बैंक सामाजिक कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ सीएसआर गतिविधियां चलाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि जाति, पंथ आदि की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों को समान रूप से इसका लाभ मिले।

3. a) **Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)**

Yes, Bank has a Board approved Procurement Policy which is broadly based on General Financial rules circulated by department of Expenditure, Ministry of Finance. Further, the policy also includes guidelines issued by MSME Ministry for Preferential Procurement through Micro and Small Enterprise (MSE's). Start-ups are also given certain relaxations to ensure their participation in the tender for Bank's procurement. Under guidelines, certain targets are also fixed for procurement from MSE's of SC/ST Entrepreneur.

Also Bank's Procurement Policy includes Purchase Preference Policy issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry.

b) **From which marginalized /vulnerable groups do you procure?**

Micro and Small enterprises.

c) **What percentage of total procurement (by value) does it constitute?**

The primary functions of the Bank include the acceptance of deposits and providing financing. The proportion of inputs sourced through marginalized/vulnerable group remains minimal in comparison to the Bank's core business operations. Further, procurement preference is given to small/MSEs producers as per Govt. guidelines.

4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:**

S.No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/ Acquired (Yes/No)	Benefit shared (Yes / No)	Basis of calculating benefit share
Not Applicable				

5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.**

Name of authority	Brief of the Case	Corrective Action Taken
Not Applicable		

6. **Details of beneficiaries of CSR Projects: during FY 2024-25**

The Bank undertakes CSR activities with a strong commitment to social welfare, ensuring that all sections of society benefit equally, regardless of caste, creed, etc.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपनी सीएसआर नीति में सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत तथा समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किसी अन्य ऐसे कोष में योगदान देने का प्रावधान किया है। उपर्युक्त निधियों से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। वित्त वर्ष 24–25 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष 2024–2025 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएँ	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
1	लोगों की मदद के लिए एआई चौटबॉट के विकास हेतु सहायता प्रदान करके कुंभ मेला 2025, प्रयागराज को सीएसआर समर्थन।	डेटा एकत्रित नहीं किया गया	
2	स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुरुग्राम को सीएसआर सहायता		
3	पार्क के विकास के लिए GIDA (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) को सीएसआर सहायता		
4	पीएनबी राइजिंग स्टार छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 100 वंचित बच्चों को युवा अनस्टॉपेबल के माध्यम सीएसआर सहायता प्रदान की गई।		
5	हरियाणा के नूंह जिले की ग्रामीण आबादी में एनीमिया का त्वरित निदान करने के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को सीएसआर सहायता।		
6	बैंक के प्रचार के लिए बस दान करके गुरुद्वारा पटना साहिब, बिहार को सीएसआर समर्थन दिया गया।		
7	पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलोर को एम्बुलेंस के लिए सीएसआर सहायता।		
8	महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर को ई–कार्ट और जनरेटर सेट खरीदने के लिए सीएसआर सहायता।		
9	त्रिपुरा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सीएसआर सहायता।		
10	बादामपहाड़, जिला मयूरभंज, ओडिशा में स्थित एसएलएस मेमोरियल आवासीय विद्यालय के लिए कक्षा की आवश्यक वस्तुओं के लिए सीएसआर।		
11	हौसूर नगर पालिका के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए 500 डेस्क और बेंच खरीदने के लिए सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता।		
12	जयपुर में आयोजित कार्बन फ्री साइक्लोथॉन कार्यक्रम को सीएसआर समर्थन दिया गया।		
13	योगक्षेम सेवा न्यास को रसोई उपकरण, सहायक सामग्री और बर्तन खरीदने के लिए सीएसआर सहायता।		
14	हमारे बैंक के 130वें स्थापना दिवस पर स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों को सीएसआर सहायता प्रदान की गई।		
15	सीता रसोई न्यास को सीएसआर सहायता से बड़ी मात्रा में भोजन बनाने के लिए रसोई उपकरण और साधन खरीदने के लिए दिया गया।		
16	दिल्ली में स्कूलों के उन्नयन के लिए बसंत सोशल फाउंडेशन को सीएसआर सहायता।		

Additionally, Bank in its CSR policy has provision to contribute any other such fund set-up by the Central Government or the State Governments for socio-economic development & relief and funds for the welfare of the marginalized section of the society. Any proposal related to above mentioned funds are considered on priority basis. CSR activities undertaken during FY 24-25 are as follows:

During the period FY 2024-2025, the following CSR activities have been undertaken:

S. No.	CSR Projects	No. of person benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable & marginalized groups
1	CSR support to Kumbh Mela 2025, Praygraj by providing aid for development of AI chatbot to help people.	Data not collated	
2	CSR support to Government senior secondary school, Gurugram for school infrastructure development		
3	CSR support to GIDA (Gorakhpur Industrial Development Authority) for development of park		
4	CSR support to Yuva Unstoppable under PNB rising star scholarship program to 100 under privileged children.		
5	CSR to Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan for procuring an advanced medical equipment to conduct rapid diagnosis of anemia among the rural population of Distt. Nuh, Haryana.		
6	CSR support to Gurudwara Patna Sahib, Bihar by donating Bus for publicity of the Bank.		
7	CSR support to Parachute Regiment Training Centre Bangalore for an ambulance.		
8	CSR support to Mahakaleshwar Temple & Omkareshwar Temple for purchasing e-kart & generator set.		
9	CSR support to Tripura Renewable Energy Development Agency.		
10	CSR for Classroom essentials to SLS Memorial Residential School located in Pahadpur, Badampahar, Distt Mayurbhanj, Odisha.		
11	Financial assistance under CSR for procuring 500 desk and benches for government schools under Housur Municipality.		
12	CSR support to Carbon Free Cyclothon event held in Jaipur.		
13	CSR support to Yogakshem Seva Nayas for purchasing kitchen equipment, accessories and utensils.		
14	CSR help to Delhi Government schools for school infrastructure upgradation on the 130th Foundation Day of our Bank.		
15	CSR support to Sita Rasoi Nyas for purchasing kitchen equipment and appliances for making food in large quantity.		
16	CSR to Basant Social Foundation for upgrading school in Delhi.		

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाऐं	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
17	हेराल्ड अकादमी जूनियर पब्लिक स्कूल, उत्तराखंड को स्कूल भवन की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए सीएसआर।	डेटा एकत्रित नहीं किया गया	
18	हैप्पी मील वितरण कार्यक्रम के साथ 750 हैप्पीनेस किट के वितरण के लिए इस्कॉन को सीएसआर सहायता।		
19	सच्ची सहेली को उनकी परियोजना चेतना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सीएसआर सहायता।		
20	सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए अर्थ सेवियर फाउंडेशन को सीएसआर समर्थन।		
21	वृद्धाश्रम के दैनिक खर्चों के लिए एनजीओ सेव द ह्यूमैनिटी को सीएसआर सहायता प्रदान की गई।		
22	विकलांग बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने हेतु बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन को सीएसआर सहायता।		
23	भारत वंदना पार्क, द्वारका में वृक्षारोपण अभियान के लिए सीएसआर समर्थन।		
24	8 बच्चों की शिक्षा के लिए ऑरो–मीरा सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित ऑरो–मीरा विद्या मंदिर को सीएसआर सहायता।		
25	पुरस्कार और फेलोशिप के लिए योग शिक्षा आध्यात्म को सीएसआर।		
26	परियोजना पोषण: स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए परिचय फाउंडेशन को सीएसआर।		
27	सीएसआर दिल्ली–एनसीआर में कैंसर रोगियों के लिए राशन सहायता हेतु कैन सपोर्ट को सहयोग।		
28	सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुलभ हेलमेट वितरण हेतु हेलमेट बैंक को सीएसआर प्रदान किया गया।		
29	समुदायों को सशक्त बनाने, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उत्तम जय राम फाउंडेशन को सीएसआर।		
30	दिल्ली में नो हॉर्निंग अभियान के लिए राहगीरी फाउंडेशन को सीएसआर सहायता ।		
31	कम्प्यूटर क्रय हेतु चौधरी फाउंडेशन को सीएसआर सहायता।		
32	सीएसआर से नई लर्निंग हाइट्सरू विशेष स्कूल और उपचारात्मक केंद्र।		
33	भारत में वित्तीय जागरूकता अभियान के लिए वेल बीइंग शिक्षा फाउंडेशन को सीएसआर सहायता।		
34	स्कूल में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए सर्वोदय बाल विद्यालय को सीएसआर प्रदान किया गया।		
35	वाटर प्यूरीफायर की स्थापना के लिए पिंगलाखी लोक कल्याण संगठन, पंजाब को सीएसआर ।		
36	कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान को 100 वंचित आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए सीएसआर प्रदान किया गया		
37	जल संरक्षण के लिए परियोजना "हार्वेस्ट फॉर रेजिलिएंस"के लिए वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट को सीएसआर।		
38	सीएसआर से स्वर्ण मंदिर, अमृतसर तक 32 सीटर वातानुकूलित बस।		

S. No.	CSR Projects	No. of person benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable & marginalized groups
17	CSR to Herald Academy Junior Public School, Uttarakhand for Repair and Renovation of school building.	Data not collated	
18	CSR to ISKCON for distribution of 750 Happiness Kits along with Happy Meals distribution Program.		
19	CSR support to Sachi Saheli for empowering women through their project Chetna.		
20	CSR support to the Earth Saviour Foundation for Solar plant installation.		
21	CSR support to NGO Save the Humanity for old age home for their day to day expenses.		
22	CSR support to BSF wives Welfare Association for setting up their school for disabled children.		
23	CSR support for plantation drive in Bharat Vandana Park, Dwarka.		
24	CSR to Auro-Mira Vidya Mandir run by Auro-Mira service society for education of 8 children.		
25	CSR to Yoga Education Spirituality for Awards and Fellowships.		
26	CSR to Parichay Foundation for Project Poshan: Health & Nutrition.		
27	CSR to CanSupport for Ration Support for Cancer Patients in Delhi-NCR.		
28	CSR to Helmet Bank for Accessible Helmet Distribution for ensuring Road Safety.		
29	CSR to Uttam Jai Ram Foundation for Empowering Communities, Transforming Lives.		
30	CSR to Raahgiri Foundation for No Honking Campaign in Delhi.		
31	CSR to Choudhary Foundation for purchasing Computers.		
32	CSR to The New Learning Heights: Special School & Remedial Centre.		
33	CSR to Well Being Shiksha Foundation for financial awareness drive in India.		
34	CSR to Sarvodaya Bal Vidyalaya for infrastructure upgrade in school.		
35	CSR to Pingalakhi public welfare organization, Punjab for installation of water purifier.		
36	CSR to Kalinga Institute of Social Sciences for education of 100 underprivileged Tribal Students Studying		
37	CSR to Water for People India Trust for Project name "Harvest for Resilience" for water conservation.		
38	CSR to Golden Temple, Amritsar for 32-Seater air-conditioned bus.		

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।**

   बैंक के पास एक ऑनलाइन शिकायत निवारण निगरानी पोर्टल है जिसे सेंट्रलाइज्ड शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) कहा जाता है, जो इन–हाउस पोर्टल है। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक को तत्काल पावती मिलती है और वह शिकायत पर नजर भी रख सकता है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग सेवा और मोबाइल बैंकिंग सेवा के माध्यम से सीजीआरएमएस में अपने अनुरोधध्शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाता है।

   बैंक के पास गुरुग्राम और नोएडा में प्राथमिक संपर्क केंद्र हैं, जहाँ दो प्रमुख सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 24*7 आधार पर अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन दो प्राथमिक साइटों के अलावा, बैंक ने अपने ग्राहकों को टेली–बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए देहरादून और भोपाल में दो द्वितीयक संपर्क केंद्र भी स्थापित किए हैं। ये सेवाएँ हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं)

   बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आवश्यक प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

   बैंक का टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर – 18001800 और 18002021

   शिकायत दर्ज करें - https://www-pnbindia-in/hi/Lodge&Complaint-html

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:**

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2024–25			वित्त वर्ष 2023–24		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत तक लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत तक लंबित समाधान	टिप्पणी
डेटा गोपनीयता	.	.		.	.	
विज्ञापन	.	.		.	.	
साइबर सुरक्षा	.	.		.	.	
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति*	11,39,830	28,855	शून्य	11,30,195	32,351	शून्य
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	लागू नहीं					
अनुचित व्यापार प्रथाएँ	लागू नहीं					
अन्य	.	.		.	.	

**पोर्टल पर शिकायतों की श्रेणी निर्धारित प्रारूप में नहीं रखी जाती है। हालाँकि, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:*

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

ESSENTIAL INDICATORS

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

   The Bank has an on-line Grievance Redressal Monitoring Portal called Centralized Grievance Redressal Monitoring System (CGRMS), which is in-house Portal. Through this system, the customer gets an immediate acknowledgement and can keep a track of the complaint also. Customers can lodge their requests/ complaints in the CGRMS through Bank's website, Internet Banking Service & Mobile Banking Service. The complaints are resolved in a time bound manner.

   The Bank has Primary Contact Centers at Gurugram and Noida to provide tele-banking services to its customers on 24*7 basis through two leading Service Providers. In addition to these two Primary Sites, the Bank has also established two Secondary Contact Centers at Dehradun and Bhopal to provide tele-banking services to its customers. (These services are available in Hindi, English and 11 other regional languages)

   Bank conducts Customer Satisfaction Surveys. The findings of the Survey are analyzed, based upon which necessary systemic improvements are carried out.

   Toll free customer care number of the Bank – 18001800 & 18002021

   Lodge Complaint - https://www.pnbindia.in/hi/Lodge-Complaint.html

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:**

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Received during the year	Pending resolution at end of the year	Re-marks	Received during the year	Pending resolution at end of the year	Re-marks
Data privacy	-	-		-	-	
Advertising	-	-		-	-	
Cyber-security	-	-		-	-	
Delivery of essential services*	11,39,830	28,855	Nil	11,30,195	32,351	Nil
Restrictive trade practices	Not Applicable					
Unfair trade practices	Not Applicable					
Other	-	-		-	-	

** The grievance categories are currently not maintained on the portal in the prescribed format. However, disclosures are made in accordance with the applicable RBI guidelines, as detailed below:*

शिकायत का आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में : की वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 5 है।
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2024–25					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	12,262	4,04,168	-17.46	3,386	589
एटीएम / डेबिट कार्ड	5,054	3,83,578	21.04	1,806	195
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	458	23,394	8.40	254	21
ऋण और अग्रिम	332	10,734	24.90	364	50
वरिष्ठ नागरिको / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	225	7,444	-48.77	107	4
अन्य	14,020	3,10,512	11.32	22,938	8,175
कुल	**32,351**	**11,39,830**	**0.85**	**28,855**	**9,034**
वित्त वर्ष 2023–24					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	13,442	4,89,664	-35.08	12,262	457
एटीएम / डेबिट कार्ड	1,814	3,16,892	-13.89	5,054	38
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	303	21,582	-38.29	458	10
वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए पेंशन एवं सुविधाएं	106	14,532	107.54	225	9
ऋण और अग्रिम	128	8,594	37.07	332	14
अन्य	7,392	2,78,931	51.16	14,020	1,673
कुल	**23,185**	**11,30,195**	**-16.59**	**32,351**	**2,201**

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

विवरण	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
जबरन वापस बुलाना		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा / नीति है? (हां / नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ष्साइबर सुरक्षा नीतिष है। यह साइबर सुरक्षा (सीएस) नीति आरबीआई के निर्धारित दिशा–निर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार साइबर सुरक्षा के बारे में प्रबंधन के विचारों और स्थिति को घोषित करने वाले संक्षिप्त और व्यावहारिक बयान शामिल हैं।

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the Year	% Increase/ decrease in the number of complaints received over the Previous year	Number of complaints pending at the end of the Year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2024-25					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	12,262	4,04,168	-17.46	3,386	589
ATM/Debit Cards	5,054	3,83,578	21.04	1,806	195
Account opening/ difficulty in operation of accounts	458	23,394	8.40	254	21
Loans and advances	332	10,734	24.90	364	50
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	225	7,444	-48.77	107	4
Others	14,020	3,10,512	11.32	22,938	8,175
Total	**32,351**	**11,39,830**	**0.85**	**28,855**	**9,034**
FY 2023-24					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	13,442	4,89,664	-35.08	12,262	457
ATM/Debit Cards	1,814	3,16,892	-13.89	5,054	38
Account opening/ difficulty in operation of accounts	303	21,582	-38.29	458	10
Pension and facilities for senior citizens/ differently abled	106	14,532	107.54	225	9
Loans and advances	128	8,594	37.07	332	14
Others	7,392	2,78,931	51.16	14,020	1,673
Total	**23,185**	**11,30,195**	**-16.59**	**32,351**	**2,201**

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	No.	Reasons for recall
Voluntary recalls	Not Applicable	
Forced recalls		

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Bank has a Board approved "Cyber Security Policy". This Cyber Security (CS) Policy has been framed based on stipulated RBI guidelines, the Information Technology Act and International Standards. It consists of concise and practical series of statements, declaring the management's views and position regarding Cyber Security, according to Bank's specific requirements.

https://www-pnbindia-in/advisories-html – ग्राहकों के लिए साइबर धोखाधड़ी और खतरों से खुद को बचाने के लिए वेब लिंक।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें या ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता उत्पाद रिकॉल की घटनाओं की पुनरावृति या उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई दण्ड।**

बैंक ने विभिन्न विनियामक दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, एंड–पॉइंट सुरक्षा, विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच प्रबंधन, डेटा लीकेज सुरक्षा की श्रेणी में आने वाले आवश्यक तकनीकी नियंत्रणों को तैनात किया है । ये तकनीकी नियंत्रण नीतियों और प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न प्रबंधन नियंत्रणों द्वारा समर्थित हैं

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ–साथ कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलाने और विज्ञापित करने के लिए कई पहल की गई हैं।

1. बैंक के ग्राहकों के बीच साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बैंक की वेबसाइट पर साइबर जागरूकता क्रिएटिव पोस्ट किए जाते हैं।
2. बैंक प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन करता है, ताकि अंतिम बिंदुओं पर सक्रिय निर्देशिका और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साइबर सुरक्षा जागरूकता पृष्ठ पोस्ट करके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके।
3. और अन्य कार्यालयों के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जा सके, जिससे साइबर सुरक्षा पर क्षेत्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा की जा सके।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

ए.	डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या	शून्य
बी.	ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य
सी.	डडेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो,	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफॉर्म जहां से इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnbindia.in), इंटरनेट बैंकिंग सेवा, मोबाइल बैंकिंग सेवा और संपर्क केंद्र ।

उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी हमारी वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने और उनसे जुड़े रहने के लिए विभिन्न स्थानीय माध्यमों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। विभिन्न सोशल मीडियाधडिजिटल प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

– मोबाइल एप्लीकेशन – "पीएनबी वन"

https://www.pnbindia.in/advisories.html - web link for customers to protect themselves from cyber frauds and threats.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.**

Bank has deployed the necessary technical controls falling in the category of Physical Security, Network Security, Application Security, Data Security, End-point Security, Privileged Access Management, Data Leakage Protection in accordance with various regulatory guidelines. These technical controls are backed by different management controls like policies and procedures

In addition to the above, several initiatives have been taken by the bank to spread and advertise cybersecurity awareness among both customers and the bank's staff. –

1. Cyber awareness creatives are posted on various social media platform and bank's website to spread awareness on cyber hygiene among the Bank's customers.
2. Bank conducts Cyber Jagrookta Diwas on 1st Wednesday of each month to spread awareness among the field functionaries & customers through posting cyber security awareness pages through active directory on end points and on social media platforms.
3. Cyber Security related posters/Banners are shared through emails with the zonal Offices for display at prominent locations of the branches and other offices to create awareness at the field level on Cyber Security.

7. **Provide the following information relating to data breaches:**

a.	Number of instances of data breaches	- NIL
b.	Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers	- NIL
c.	Impact, if any, of the data breaches	- NIL

LEADERSHIP INDICATORS

1. **Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

Corporate Website (www.pnbindia.in), Internet Banking Service, Mobile Banking Service & Contact Centers.

Product & Services information is available on our website (www.pnbindia.in)

In addition to this, the Bank actively uses various local avenues, print media, social media and digital platforms to educate and to stay connected with our customers on its products and services. Brief details of various social media/ digital platforms are as below:

- Mobile Application – "PNB ONE"

- फेसबुक
- इंस्टाग्राम
- X (ट्विटर) हैंडल
- व्हाट्सएप – 91 9264092640
- कॉल सेंटर – 1800 1800, 18002021–

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी ग्राहकों को विभिन्न चौनलों जैसे कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.pnbindia.in), एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, संपर्क केंद्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दी जाती है।

इसके अलावा, सक्रिय ग्राहकों को समय–समय पर संदेश भेजे जाते हैं ताकि उन्हें केवाईसी आदि जमा करने के लिए फर्जी कॉल और झूठी कॉल के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, फर्जी कॉल अस्वीकरण हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन–हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो समय–समय पर ग्राहकों को विभिन्न ग्राहक सेवाएँ प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट भेजे जाते हैं।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।**

संबंधित उत्पाद स्वामी प्रभागों द्वारा नियमित आधार पर आउटेज के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है ।

4. **क्या संस्था स्थानीय विधियों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)**

हाँ। बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी जनता की जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर रखी जाती है। शाखाओं में व्यापक सूचना पट्टों पर भी जानकारी होती है। बैंक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर आवश्यक प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

- Facebook
- Instagram
- X (Twitter) handle - https://x.com/pnbindia
- WhatsApp - +91 9264092640
- Call Centre – 1800 1800, 18002021

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

The information regarding safe usage of Bank's various products and services are disseminated to the customers through various channels such as, Corporate Website (www.pnbindia.in), SMS, Internet Banking Services, Mobile Banking Services, Contact Centre, Social Media etc.

Also, periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC etc. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

Dissemination of information regarding outages are done on regular basis by concerned product owner Divisions.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/ Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

Yes. Information about the Bank's products and services are placed on the Bank's website for information of the public. Comprehensive Notice Boards at branches also contain information. Bank conducts Customer Satisfaction Surveys. The findings of the Survey are analyzed, based upon which necessary systemic improvements are carried out.

उमेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

51, स्नेहधारा,
जीवन विकास केंद्र मार्ग,
अंधेरी (ई), मुंबई – 69
फ़ोन: 91–22–26827498
91–9323600966, 8890033333
ईमेल: ujc1981@gmail.com

स्वतंत्र प्रेक्टिसनरों की उचित आश्वासन रिपोर्ट

निदेशक मंडल, पंजाब नैशनल बैंक

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) में स्थिरता प्रकटीकरण पर आश्वासन रिपोर्ट फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए पंजाब नैशनल बैंक ('बैंक') की सामूहिक रूप से चिन्हित स्थिरता सूचना' (आईएसआई) कहा जाता है,

अभिमत

हमने 15 अप्रैल 2025 के अनुबंध के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक के लिए एक उचित युक्त आश्वासन का कार्य निष्पादित करने का वचन दिया है जो कि बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 1) से संबन्धित नीचे सूचीबद्ध बैंक की स्थिरता प्रकटीकरण ('चिन्हित स्थिरता सूचना') सेबी द्वारा 11 नवंबर 2024 तथा 28 मार्च 2025 के परिपत्रों द्वारा अधिसूचित के संबंध में है । यह स्थिरता सूचना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए बैंक के बीआरएसआर में शामिल है। यह कार्य आश्वासन प्रेक्टिसनरों, पर्यावरण और सामाजिक पेशेवरों सहित एक बहु–विषयक टीम द्वारा संचालित किया गया था।

आश्वासन के अधीन चिह्नित स्थिरता सूचना (आईएसआई)	आश्वासन के अधीन अवधि	रिपोर्टिंग मानदंड
बीआरएसआर कोर (अनुलग्नक 1) को सेबी परिपत्र संख्या सेबीध्एचओ/ सीएफडी/पीओडी2/ सीआईआर/ पी/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024, तथा सेबी/एचओ/ सीएफडी–पीओडी–1/ सीआईआर/2025/ 42 दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है। *(अनुलग्नक 'क' का संदर्भ लें)*	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्याएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) में यथा संशोधित। • सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शन नोट। • बीआरएसआर कोर की रिपोर्टिंग पर उद्योग मानक सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी– पीओडी 1/डी/सीआईआर/2024/177 दिनांक 20 दिसंबर 2024 के अनुसार। • विश्व संसाधन संस्थान (WRI) / सतत विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) ग्रीनहाउस गैस (GHG) प्रोटोकॉल (एक कॉरपोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक) • स्टैण्डर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट(SSAE)3000, "एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इन्फोर्मेशन जो "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है।

UMMED JAIN & CO.
Chartered Accountants

51, Snehdhara,
JeevanVikas Kendra Marg,
Andheri (E), Mumbai - 69
Ph: 91-22-26827498
91-9323600966, 8890033333
E-mail: ujc1981@gmail.com

Independent Practitioners' Reasonable Assurance Report

To the Board of Directors of Punjab National Bank,

Reasonable Assurance Report on the sustainability disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Framework [together called 'Identified Sustainability Information' (ISI)] of Punjab National Bank (the' Bank') for the period from 1st April 2024 to 31st March 2025 in accordance with the reporting criteria.

Opinion

We have undertaken to perform a Reasonable Assurance engagement for Punjab National Bank vide agreement dated 15th April 2025 in respect of the agreed Bank's sustainability disclosures listed below (the 'Identified Sustainability Information') pertaining to BRSR Core (Annexure 1) as notified by SEBI vide circulars dated 11th November 2024 and 28th March 2025. This Sustainability Information is included in BRSR of the bank for the period from 1st April 2024 to 31st March 2025. This engagement was conducted by a multidisciplinary team including assurance practitioners, environmental and social professionals.

Identified Sustainability Information (ISI) subject to assurance	Period subject to assurance	Reporting criteria
BRSR Core (Annexure 1) notified by SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024, and SEBI/HO/CFD-PoD- 1/CIR/2025/42 dated 28th March, 2025 *(Refer to Annexure A)*	From 1st April 2024 to 31st March 2025	• Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 as amended. • Guidance notes for BRSR format issued by SEBI. • Industry Standards on Reporting of BRSR Core vide SEBI circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-1/D/CIR/2024/177 dated 20th December 2024. • World Resource Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards • Standard on Sustainability Assurance Engagement (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of Institute of Chartered Accountants of India.

हमारा उचित आश्वासन का कार्य 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में था, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, केवल सूचना प्रदान करना तथा हमने पहले की अवधियों या बीआरएसआर में शामिल किसी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

चिन्हित स्थिरता सूचना के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन स्थिरता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड चयन अथवा स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है, लागू विधि और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, रिपोर्टिंग से संबंधित स्थिरता की सूचना, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री, तैयारी और मानदंडों के अनुसार चिन्हित स्थिरता सूचना की प्रस्तुति। इस उत्तदायित्व में बीआरएसआर की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव और चिन्हित स्थिरता सूचना का प्रमाण शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त है।

अंतर्निहित सीमाएं

बैंक की बीआरएसआर सूचना तैयार करने के लिए प्रबंधन को मानदंड स्थापित करने या उसकी व्याख्या करने, शामिल की जाने वाली सूचना की प्रासंगिकता का निर्धारण, तथा रिपोर्ट की गई सूचना को प्रभावित करने वाले अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। कुछ राशि और बीआरएसआर मेट्रिक्स का मापन, जिनमें से कुछ अनुमान हैं, पर्याप्त अंतर्निहित माप उदाहरण के लिए जीएचजी उत्सर्जन, वाटर फुटप्रिंट, एनर्जी फुटप्रिंट अनिश्चितता के अधीन हैं। हमारी अभिमत/निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करना राशि और मेट्रिक्स में अनिश्चितता को कम नहीं करता है।

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं को पूरा किया है और इस आश्वासन के कार्य का संचालन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

फर्म गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, 'ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण' को लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करती है।

चिन्हित स्थिरता सूचना (आईएसआई) के लिए हमारा उत्तदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चिन्हित स्थिरता सूचना के आधार पर, हमारे द्वारा एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थिरता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी स्थिरता आश्वासन जुड़ाव (SSAE) 3000, 'स्थिरता सूचना पर आश्वासन जुड़ाव' के मानक के अनुसार अपना कार्य संचालित किया था। इस मानक के अनुसार हमें उचित या सीमित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कार्य की योजना बनाने जो कि सहमत आश्वासन के स्तर पर निर्भर करता है को निष्पादित करने की आवश्यकता है,

Our Reasonable Assurance engagement was with respect to the year ended March 31st 2025, information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to the earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

Management's Responsibility for the Identified Sustainability Information

The Bank's Management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation, and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Inherent limitations

The preparation of the BRSR information of the bank requires the management to establish or interpret the criteria, make determinations about the relevancy of information to be included, and make estimates and assumptions that affect the reported information. Measurement of certain amounts and BRSR metrics, some of which are estimates, is subject to substantial inherent measurement uncertainty, for example GHG emissions, water footprint, energy footprint. Obtaining sufficient appropriate evidence to support our opinion/conclusion does not reduce the uncertainty in the amount and metrics.

Our Independence and Quality Control

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

The firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Our Responsibilities for the Identified Sustainability Information (ISI)

Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained.

Our engagement was conducted in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information," issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires us to plan and perform the engagement to obtain either reasonable or limited assurance, depending on the level of assurance agreed upon.

उचित आश्वासन कार्यों में पूछताछ, निरीक्षण, अवलोकन और पुनः निष्पादन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। इसमें चिन्हित स्थिरता सूचना में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकन किए गए जोखिमों का जवाब देना शामिल है।

हमारे द्वारा की गईं प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और नीतियों की रिपोर्टिंग करना, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था।

कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को करने में, हमने:

1. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) मानकों और बीआरएसआर कोर के लिए सेबी परिपत्र के अनुसार विषय वस्तु एकत्र करने, मिलान करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थिरता, पर्यावरणीय सामाजिक शासन (ईएसजी) और बैंक के सलाहकार और उनकी टीम के लिए उत्तरदायी बैंक के प्रबंधन के प्रासंगिक कर्मियों का साक्षात्कार लिया।
2. रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शाखाओं, कार्यालयों और अन्य स्थानों (अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को छोड़कर) के लिए समेकन की जाँच की।
3. टर्नओवर आधारित गहन संकेतकों के लिए प्रकाशित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की कुल आय पर भरोसा किया।
4. नमूना शाखाओं, कार्यालयों और कवर किए गए अन्य स्थानों पर चिह्नित स्थिरता संकेतकों के प्रतिद्रर्श आधार पर पर्याप्त परीक्षण किया गया है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को दर्ज किए गए अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ उचित रूप से मापा गया था, एकत्र किया गया और रिपोर्ट किया गया था। इसमें नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित रिकॉर्ड का आकलन और परीक्षण करना शामिल था।
5. एक्सट्रपलेशन के लिए प्रतिदर्श शाखाओं के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता का आकलन किया।
6. अनुमानित वार्षिक डेटा पर पहुंचने के लिए नमूना शाखाओं के लिए डेटा के एक्सट्रपलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली गणनाओं की उपयुक्तता का आकलन किया।
7. डेटा विश्लेषण के लिए बैंक और उसके सलाहकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न मान्यताओं, अनुमानों और भौतिकता थ्रेसहोल्ड की उपयुक्तता का आकलन किया।
8. ऐतिहासिक डेटा में रुझानों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया और तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया।

अपवादः

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नही है और इसलिए हम उस पर निष्कर्ष व्यक्त नही करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित लोगों के अलावा बैंक के परिचालन।
- बीआरएसआर के पहलू और चिन्हित स्थिरता सूचना के अतिरिक्त डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)।
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर डेटा और जानकारी अर्थात 1 अप्रैल 2024 तक 31 वीं मार्च 2025.

A Reasonable Assurance engagement involves obtaining sufficient and appropriate evidence through procedures such as inquiries, inspection, observation, and re-performance. It includes an assessment of the risks of material misstatement in the Identified Sustainability Information, whether due to fraud or error, and responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we:

1. Interviewed relevant personnel of Bank's management responsible for Sustainability, Environmental Social Governance (ESG) and the bank's consultant and their team for understanding the process of collecting, collating, and reporting the subject matter as per Global Reporting Initiative (GRI) Standards and SEBI circular for BRSR core.
2. Checked the consolidation for various branches, offices, and other locations (excluding international operations) to ensure the completeness of data being reported.
3. Relied on the total income from the published audited financial statements for turnover based intensity indicators.
4. Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Indicators at sample branches, offices and other locations covered, to verify that data had been appropriately measured with the underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing including recalculation of sample data.
5. Assessed the appropriateness of basis used for selecting sample branches for extrapolation.
6. Assessed the appropriateness of calculations used for extrapolation of data for sample branches to arrive at estimated annual data.
7. Assessed the appropriateness of various assumptions, estimations and materiality thresholds used by the bank and its consultant for data analysis.
8. Performed analytical procedures to analyze trends in the historical data and accordingly ascertain the reasonableness of the data reported in the current year.

Exclusions:

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Operations of the Bank other than those mentioned in the "Scope of Assurance".
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- Data and information outside the defined reporting period i.e. 1st April 2024 to 31st March 2025.

- ऐसे कथन जो बैंक द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के लक्ष्यों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।
- रिपोर्ट में व्यक्त रणनीति और अन्य संबंधित लिंकेज
- रिपोर्ट को विशेष रूप से उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ मैप करना
- हमने व्यक्तिगत रूप से किसी भी संचालित सुविधा पर स्रोत डेटा सत्यापन नहीं किया।

उचित आश्वासन अभिमत

हमारे अभिमत में, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग में चिन्हित स्थिरता जानकारी, उचित आश्वासन के अधीन, सभी भौतिक मामलों में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग बाध्यताओं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं (एलओडीआर) और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई)/सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद (डब्ल्यूबीसीएसडी) ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) प्रोटोकॉल (एक कॉर्पोरेट लेखा और रिपोर्टिंग मानक) (संशोधित) के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार तैयार की गई है।

उपयोग प्रतिबंध

हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट तैयार की गई है और बैंक के अनुरोध पर पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है, ताकि बैंक की स्थिरता प्रदर्शन और गतिविधियों पर रिपोर्ट करने में बैंक की सहायता की जा सके। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्रदेय का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारे प्रदेय के पते के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य ,के लिए या किसी अन्य पार्टी के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है। जिसे हमारे प्रदेय दिखाए जाते हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

कृते उम्मेद जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन नंबर 119250डब्ल्यू

सी.ए. अखिल जैन
भागीदार
सदस्य सं. 137970
यूडीआईएन: 25137970BMLFJF9824

दिनांक: 31/05/2025
स्थान: नई दिल्ली

- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Bank.
- Strategy and other related linkages expressed in the Report
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned specifically
- We did not undertake source data verification in-person at any operated facilities

Reasonable Assurance Opinion

In our opinion, Identified Sustainability Information in the Business Responsibility and Sustainability Reporting for the period 1st April, 2024 to 31st March, 2025, subject to reasonable assurance is prepared, in all material respects, in accordance with the Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) and World Resources Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards) (Revised).

Restriction on use

Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of Punjab National Bank at the request of the Bank solely, to assist Bank in reporting on Bank's sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone other than the Bank. Our Deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our Deliverables. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Ummed Jain & Co.
Chartered Accountants
FRN No. 119250W

CA. AKHIL JAIN
Partner
M. No. 137970
UDIN: 25137970BMLFJF9824

Date: 31/05/2025
Place: New Delhi

BLANK PAGE

बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ	आश्वासन का प्रकार
बीआरएसआर संकेतक	
सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए।	
विशेषता 1: ग्रीन–हाउस गैस (जीएचजी) फुट प्रिंट	
प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी मात्रा:	यथोचित
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 पर उत्सर्जन की मात्रा	
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की मात्रा	
भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की मात्रा	
विशेषता 2: जल फुट प्रिंट	
प्रश्न 3: जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण:	यथोचित
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)	
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल मात्रा (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार में जल की मात्रा	
भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में जल की मात्रा	
प्रश्न 4: निस्सरित जल से संबंधित विवरण:	
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)	
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	
विशेषता 3: ऊर्जा फुट प्रिंट	
प्रश्न 1: कुल ऊर्जा उपभोग/खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की मात्रा का विवरण:	यथोचित
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग/खपत की गई कुल ऊर्जा	
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग/खपत की गई कुल ऊर्जा	
प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल मात्रा (कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के कारोबार/टर्नओवर पर ऊर्जा की मात्रा	
भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा की मात्रा	
विशेषता 4: परिपत्रता को अपनाना – इकाई द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण	
प्रश्न 9: इकाई द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	यथोचित
कुल उत्पन्न कचरा (मीट्रिक टन में)	
प्रति करोड़ रुपये के कारोबार/टर्नओवर पर पर कचरा मात्रा (कुल उत्पन्न कचरा/परिचालन से राजस्व)	
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कचरे की मात्रा	
भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मीट्रिक के संदर्भ में कचरे की मात्रा	
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मीट्रिक टन में)	
उत्पन्न कचरा की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)	

Annexure-1

ANNEXURE A- BRSR CORE ATTRIBUTES	
BRSR Indicator	**Type of Assurance**
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment.	
Attribute 1: Green-House Gas (GHG) footprint	
Question 7: Details of Greenhouse Gas Emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity:	Reasonable
Total Scope 1 Emissions	
Total Scope 2 Emissions	
Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity per rupee crore of turnover	
Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity	
Total Scope 1 and Scope 2 Emission Intensity in terms of physical output/any other relevant metric	
Attribute 2: Water Footprint	
Question 3: Details of the following disclosures related to water:	Reasonable
Water withdrawal by source (in kilolitres)	
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	
Total volume of water consumption (in kilolitres)	
Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption/Revenue from operations)	
Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Water intensity in terms of physical output/any other relevant metric	
Question 4: Details related to water discharged:	
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)	
Total water discharged (in kilolitres)	
Attribute 3: Energy Footprint	
Question 1: Details of total Energy Consumption (in joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable
Total Energy consumed from Renewable sources	
Total Energy consumed from Non-renewable sources	
Energy Intensity per rupee crore of turnover (Total energy consume/revenue from operation)	
Energy Intensity per rupee Crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Energy Intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity -Details related to waste management by the entity	
Question 9: Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable
Total waste generated (in metric tonnes)	
Waste intensity per rupee crore of turnover (total waste generated/revenue from operations)	
Waste intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Waste intensity in terms of Physical output /any other relevant metric	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes)	
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	

बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 3: कारोबारों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए	
विशेषता 5: कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा बढ़ाना	
प्रश्न 1(ग): कर्मचारियों एवं कामगारों (स्थायी एवं गैर–स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय:	यथोचित
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	
प्रश्न 11: कर्मचारियों एवं कामगारों हेतु सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:	
सबसे कम समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति कार्य घंटे)	
रिकॉर्ड योग्य कुल कार्य–संबंधी चोटें	
मृतकों की संख्या	
गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए	
विशेषताएँ 6: कारोबार में जेंडर विविधता को सक्षम बनाना	
प्रश्न 3 (बी): संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन:	यथोचित
प्रश्न 7: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शिकायत क्षेत्र	
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
POSH पर महिला कर्मचारियों / कामगारों के प्रतिशत के अनुसार शिकायतें	
POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं / लंबित	
सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए	
विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना	
प्रश्न 4: आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट): क. एमएसएमई / लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त। ख. सीधे भारत के अंतर्गत	यथोचित
प्रश्न 5: छोटे शहरों में रोजगार सृजन– छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी / अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों सहित) को भुगतान किया गया वेतन, कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में बताएं।	
सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए	
विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	
प्रश्न 7: डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: क. डेटा उल्लंघनों संबन्धित घटनाओं की संख्या ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत सी. डेटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो	यथोचित

ANNEXURE A- BRSR CORE ATTRIBUTES	
BRSR Indicator	**Type of Assurance**
Principle 3: Businesses should respect and promote the Well -being of all Employees, including those in their value chains	
Attribute 5: Enhancing employee Well-being and Safety	
Question 1 (c): Spending on measures towards Well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent):	Reasonable
Cost incurred on wellbeing measures as a %age of total revenue of the company	
Question 11: Details of Safety related incidents for employees and workers:	
Lost time injury frequency rate (LTIFR) (per one million -person hours worked)	
Total recordable work -related injuries	
No. of Fatalities	
High consequence work - related injury or ill -health (excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote Human Rights	
Attributes 6: Enabling Gender Diversity in in business	
Question 3 (b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:	Reasonable
Question 7: Complaints field under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, prohibition, and Redressal) Act, 2013	
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	
Complaints on POSH as a % of female employees/workers	
Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Business should promote inclusive growth and Equitable Development	
Attribute 7: Enabling Inclusive Development	
Question 4: Percentage of input material (Inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSME's/small producers. b. Directly from within India	Reasonable
Question 5: Job creation in smaller towns- Disclose wages paid to persons employed (including employees of workers employed on a permanent or non- permanent/ on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost	
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their Consumers in a Responsible manner	
Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers	
Question 7: Provide the following information relating to data breaches: a. Number of instances of data breaches b. Percentage of data Breaches involving personally identifiable information of customers c. Impact, if any, of the data breaches	Reasonable

बीआरएसआर मुख्य विशेषताएँ	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 1: कारोबारों को ईमानदारी और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन करना चाहिए	
विशेषता 9: व्यवसाय का खुलापन	
प्रश्न 8: देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)	यथोचित
प्रश्न 9: व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का ब्यौरा, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ अग्रिम और निवेश:	
खरीदारी का संकेन्द्रण	
बिक्री का संकेन्द्रण	
आरपीटी के शेयर क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) सी. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम) डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	

ANNEXURE A- BRSR CORE ATTRIBUTES	
BRSR Indicator	**Type of Assurance**
Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable	
Attribute 9: Open-ness of Business	
Question 8: Number of days of Accounts Payable ((Accounts payable *365)/Cost of goods/services procured)	Reasonable
Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along with advances &investments, with related parties:	
Concentration of Purchases	
Concentration of Sales	
Shares of RPTs in a. Purchases (Purchases with related parties/Total Purchases) b. Sales (Sales to related parties/Total Sales) c. Loans &Advances (Loans &Advances given to Related Parties/Total loans & Advances) d. Investments (Investments in Related Parties/ Total Investments Made)	

BLANK PAGE